विषय सूची

क्रम सं	पैरा सं.	विषय (2018-19 के बजट भाषण में)	पृष्ठ सं.
1.	13	न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत का 1.5 गुणा किया जाना	1
2.	14	किसानों को उनके उत्पादन की समुचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए त्रुटि रहित व्यवस्था	1
3.	15	मूल्य और मांग पूर्वानुमान के संबंध में उपयुक्त नीतियां और परिपाटियां विकसित करना	2
4.	16	ई-नैम नेटवर्क के कवरेज का विस्तार	2
5.	17	ग्रामीण कृषि बाजार	2
6.	18	कृषि बाजार अवसंरचना निधि	2
7.	19	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-चरण-III	3
8.	20	चिन्हित कृषि उत्पादों के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल का निर्माण करना	3
9.	21	कृषि-जिन्सों के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्कीम को नई दिशा देना	3
10.	22	जैव कृषि	3
11.	23	विशेषीकृत औषधीय तथा सुगंधित पौधों की खेती	4
12.	24	विशेषज्ञता प्राप्त कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थाएं	4
13.	25	ऑपरेशन ग्रीन्स	4
14.	26	कृषि वस्तुओं के निर्यात हेतु क्षमता प्राप्त करना	5
15.	27	मात्स्यिकी और पशुपालन करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देना	5
16.	28	पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत	5
17.	29	किसानों से लाभप्रद मूल्यों पर अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदना	5
18.	30	दीर्घावधिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) का क्षेत्र बढ़ाना	6
19.	31	मत्स्य पालन और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि	6
20.	32	कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण	6
21.	33	पट्टाधारी किसान को फसल ऋण लेने में सक्षम बनाने के लिए तंत्र	7
22.	34	कृषक उत्पादक संगठनों के लिए अनुकूल कराधान व्यवस्था	7
23.	35	फसल अपशिष्ट के खेत में ही प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी हेतु सब्सिडी	7
24.	38	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	7
25.	39	प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना	8
26.	40	स्वच्छ भारत मिशन	8
27.	41	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	8
28.	42	सस्ता आवासन निधि (एएचएफ)	9
29.	43	महिला स्व-सहायता समूह	9
30.	44	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	9
31.	47	शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार	9
32.	48	शिक्षकों का प्रशिक्षण	10

क्रम सं	पैरा सं.	विषय (2018-19 के बजट भाषण में)	पृष्ठ सं.
33.	49	शिक्षा में डिजिटल सघनता	10
34.	50	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय	10
35.	51	शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों को पुनः जानदार बनाना	10
36.	52	विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना	11
37.	53	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय	11
38.	54	'प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता' (पीएमआरएफ) योजना	11
39.	56	आयुष्मान भारत	11
40.	57	राष्ट्रीय और आरोग्य केन्द्र	12
41.	59	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	12
42.	61	तपेदिक के मरीजों को पोषाहार सहायता	12
43.	62	नए सरकारी चिकित्सा कालेज और अस्पताल	12
44.	63	गोबर-धन	13
45.	64	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	13
46.	65	प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कवरेज	13
47.	68	एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स-कर्मचारी भविष्य निधि में सरकार का अंशदान	14
48.	71	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पूंजीगत जरूरतों का वित्तपोषण	14
49.	72	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता	15
50.	73	मुद्रा के अंतर्गत ऋण देने का लक्ष्य	15
51.	74	मुद्रा के अंतर्गत पुनर्वित्त पोषण नीति की समीक्षा	16
52.	75	भारत में फिनटेक कंपनियों के विकास हेतु अच्छे माहौल का सृजन	16
53.	76	एआईएफ के लिए व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय	16
54.	79	कर्मचारी भविष्य निधि में सरकार का अंशदान	17
55.	80	ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 में संशोधन	17
56.	81	मॉडल महत्वाकांक्षी कौशल केन्द्र	17
57.	82	वस्त्र क्षेत्र के लिए परिव्यय	17
58.	85	सेला सुरंग का निर्माण और समुद्री प्लेन के कार्य कलापों में निवेश	17
59.	88	प्रतिष्ठित पर्यटन गंतव्यों का विकास	18
60.	91	आईआईएफसीएल से लाभ उठाना	18
61.	92	सड़क अवसंरचना के विकास हेतु निधियां जुटाना	18
62.	93	रेलवे नेटवर्क को मजबूत करना	19
63.	94	रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण	19
64.	95	रेलवे अवसंरचना का सुधार	19
65.	96	''सबसे पहले सुरक्षा'' नीति	20
66.	97	प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास	20

क्रम सं	पैरा सं.	विषय (2018-19 के बजट भाषण में)	पृष्ठ सं.
67.	98	मुंबई की परिवहन प्रणाली का विस्तार और वर्धन	20
68.	99	मुम्बई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना	21
69.	100	नभ निर्माण और उड़ान स्कीम	21
70.	101	आपदारोधी आधारभूत सुविधा पर गठबंधन	22
71.	102	सरकारी क्षेत्र की आस्तियों का मुद्रीकरण	22
72.	104	कारपोरेटों को बांड बाजार से जुड़ना अनिवार्य करना	22
73.	105	कॉरपोरेट बांड रेटिंग	22
74.	106	भारतीय स्टांप अधिनियम	22
75.	107	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में वित्तीय सेवाओं के लिए एकीकृत प्राधिकरण	23
76.	108	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	23
77.	109	साइबर भौतिक प्रणाली मिशन की शुरूआत	23
78.	110	दूरसंचार अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	24
79.	111	स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड की स्थापना	24
80.	112	क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रयोग का उन्मूलन	25
81.	113	फास्टैग और इलेक्ट्रॉनिक टॉल संग्रहण	25
82.	117	रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोरों का निर्माण	25
83.	118	प्रत्येक उद्यम को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की योजना	26
84.	119	व्यवसाय सुधार कार्य योजना	26
85.	120	भारतीय खाद्य निगम की पूंजी की पुनर्संरचना	26
86.	121	मेट्रो परियोजना की बजटिंग को सुप्रवाही बनाना	26
87.	122	राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल तैयार करना	27
88.	123	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सामरिक विनिवेश	27
89.	124	सरकारी बीमा कंपनियों का विलय	27
90.	125	एक्सचेंज व्यापारित निधि	28
91.	126	विनिवेश	28
92.	127	वर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता कार्यक्रम	28
93.	128	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पूंजी जुटाना	29
94.	129	प्रतिभूति कानूनों में संशोधन	29
95.	130	भारत सरकार की वेबसाइट पर ब्यौरेवार अनुदान मांगों का लिंक उपलब्ध कराया जाना	29
96.	132	व्यापक स्वर्ण नीति और गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज	29
97.	133	बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश नीति	30
98.	134	हाइब्रिड साधनों के लिए नीति	30
99.	135	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों की परिलब्धियों में संशोधन	30

क्रम सं	पैरा सं.	विषय (2018-19 के बजट भाषण में)	पृष्ठ सं.
100.	136	संसद सदस्यों को देय परिलब्धियां	30
101.	137	महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाना	31
102.	142	एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन	31
103.	147	कृषि में फसल कटाई के उपरांत कार्य-कलाप के संवर्धन हेतु कर-प्रोत्साहन	32
104.	148	रोजगार सृजन	32
105.	149	स्थावर संपदा हेतु प्रोत्साहन	33
106.	150	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन	33
107.	151	वेतनभोगी करदाताओं को राहत	34
108.	152	वरिष्ठ नागरिकों को राहत	35
109.	153	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को कर-प्रोत्साहन	36
110.	154	नकद अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के अतिरिक्त उपाय	36
111.	155	दीर्घावधिक पूंजी लाभ को यौक्तिकीकरण	36
112.	156	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	38
113.	157	ई-निर्धारण	38
114.	158	प्रत्यक्ष करों में अन्य परिवर्तन	38
115.	160	अप्रत्यक्ष कर	46
116.	161	काजू प्रसंस्करण उद्योग को सहायता	46
117.	162	समाज कल्याण अधिभार	46
118.	163	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन	47
119.	164	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के नाम में परिवर्तन	48

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1.	13	अध्यक्ष महोदया, हमारे दल के घोषणा-पत्र में यह संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसान भाइयों को उनकी उत्पादन की लागत से कम-से-कम 50 प्रतिशत अधिक अर्थात लागत से डेढ़ गुना दाम मिले। सरकार इस संकल्प के प्रति संवेदनशील रही है। रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम डेढ़ गुना तय किया जा चुका है। अब हमने बची हुई फसलों के लिए भी इस संकल्प को एक सिद्धांत की तरह लागू करने का फैसला लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किये गए सिद्धांत के अनुसार, सरकार ने आगामी खरीफ से सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम-से-कम डेढ़ गुना करने का फैसला लिया है। मेरा विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग**	वर्ष 2018-19 की सभी अधिसूचित खरीफ और रबी की फसलों के लिए क्रमशः दिनांक 4.7.2018 और 3.10.2018 को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के लिए अन्य वाणिज्यिक फसलों जैसे गरी (मिलिंग) और जूट के एमएसपी में भी वृद्धि की गई है जो उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित करती है।
2.	14	हमारी सरकार किसी भी विषय को टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं, समग्रता में सुलझाने की अप्रोच के साथ काम करती है। केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि घोषित एमएसपी का पूरा लाभ किसानों को मिले। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि कृषि उत्पाद की कीमत बाजार में दाम एमएसपी से कम हो तो सरकार या तो एमएसपी पर खरीद करे या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किसान को पूरी एमएसपी मिलने की व्यवस्था करे। नीति आयोग, केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर एक पुख्ता व्यवस्था तैयार करेगा जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाया जा सके। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग**	एमएसपी पर खरीद करने के लिए एक त्रुटि रहित व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में केन्द्र सरकार के विभागों और राज्य सरकारों के साथ नीति आयोग द्वारा किए गए विचार-विमर्श के अनुसरण में, मंत्रिमंडल ने 12 सितम्बर, 2018 को *'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान'* नामक नई अम्ब्रेला स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों द्वारा दालों, तिलहन, गरी और पोषक अनाजों/ मोटे अनाजों का एमएसपी प्राप्त सुनिश्चित करना है, जब भी बाजार मूल्य अधिसूचित एमएसपी से कम हो। इस स्कीम में मूल्य समर्थन स्कीम, मूल्य में कमी के भुगतान की स्कीम, प्राइवेट स्टॉकिस्ट खरीद स्कीम (प्रायोगिक आधार पर) और सरकार की मौजूदा स्कीमें शामिल हैं।
3.	15	बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि किसान अपने निर्णय फसल की कटाई के बाद उसके संभावित मूल्य को ध्यान में रखते हुए करें।	सरकार द्वारा एक *अंतर मंत्रालयी समिति* गठित की गई है जिसका कार्य समय-समय पर दालों, खाद्य तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थों और सब्जियों एवं फलों आदि जैसी जल्द नष्ट होने वाली वस्तुओं

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		सरकार मूल्य तथा मांग के संबंध में पूर्वानुमान लगाने, भावी तथा वैकल्पिक बाजार के प्रयोग, माल-गोदाम (वेयर हाउस) निक्षेपण प्रणाली के विस्तार तथा विशिष्ट निर्यात एवं आयात संबंधी उपायों के संबंध में निर्णय लेने हेतु उपयुक्त नीतियों एवं पद्धतियों को विकसित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से एक संस्थागत तंत्र सृजित करेगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग**	की मूल्य की स्थिति की साप्ताहिक आधार पर निगरानी और समीक्षा करना है ताकि किसान अपने उत्पादों का इष्टतम मूल्य/ एमएसपी प्राप्त कर सकें। समिति की बैठक नियमित रूप से हो रही है जिसमें उत्पादन, मूल्य की प्रवृत्ति (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों) देश के भांडागारों में स्टॉक की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भावी मूल्य, आयात/निर्यात संबंधी मात्रात्मक प्रतिबंध, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की स्थिति का विश्लेषण करती है तथा उपयुक्त उपायों पर विचार करती है और उचित निर्णय लेती है।
4.	16	अध्यक्ष महोदया, पिछले वर्ष मैंने ई-नैम को सुदृढ़ बनाने तथा ई-नैम के कवरेज को 585 एपीएमसी तक पहुंचाने के संबंध में घोषणा की थी। 470 एपीएमसी ई-नैम नेटवर्क से संयोजित कर दिए गए हैं तथा शेष को मार्च, 2018 तक इस नेटवर्क से संयोजित कर दिया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग**	*मार्च, 2018 तक ई-नैम पोर्टल के साथ सभी 585 बाजार एकीकृत किए जा चुके हैं।*
5.	17	हमारे 86 प्रतिशत से भी अधिक किसान अभी भी लघु एवं सीमांत किसान हैं। ये हमेशा एपीएमसी में या अन्य थोक बाजारों में सीधे अपने उत्पादों को बेचने की स्थिति में नहीं होते। हम मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को *ग्रामीण कृषि बाजारों* के रूप में विकसित तथा उन्नत करेंगे। इन ग्रामीण कृषि बाजारों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और अन्य सरकारी स्कीमों का प्रयोग करके भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इलेक्ट्रानिक रूप से ई-नैम से जुड़े तथा एपीएमसी के विनियमों से छूट प्राप्त ये ग्रामीण कृषि बाजार किसानों को सीधे उपभोक्ताओं एवं थोक खरीदारों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग**	विपणन और निरीक्षण निदेशालय स्थान, अवसंरचना की स्थिति, प्रबंधन, वस्तुओं आदि के संबंध में तैयार की गई प्रश्नावली के माध्यम से मौजूदा ग्रामीण हाटों का सर्वेक्षण करता आ रहा है। बुनियादी अवसंरचनाओं के विकास के लिए 9477 ग्रामीण हाटों के सर्वेक्षण के परिणाम पहले ही मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय से साझा किए जा चुके हैं। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने ग्रामीण कृषि बाजार का प्रचालन और प्रबंधन तैयार कर परिचालित किया है ताकि किसानों को बेहतर आय प्राप्त करने के लिए अपने उत्पाद बेचने की सहूलियतें दी जा सकें। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि ग्रामीण कृषि बाजारों को राज्य एपीएमसी विनियमों से छूट दें।
6.	18	22000 ग्रामीण कृषि बाजारों तथा 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास तथा उन्नयन के लिए ₹2000 करोड़ की स्थायी निधि के साथ एक *कृषि बाजार अवसंरचना कोष* की स्थापना की जाएगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग**	दिनांक 24.10.2018 को *कृषि-बाजार अवसंरचना कोष (एएमआईएफ)* की स्थापना करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति द्वारा किया गया है। इस स्कीम के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
7.	19	सभी पात्र निवास स्थानों को सभी मौसम में प्रयोग में लाए जाने वाली सड़क से जोड़ने का काम काफी हद तक पूरा हो गया है तथा इस संबंध में लक्ष्य को मार्च 2022 के स्थान पर मार्च, 2019 तक प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। अब ग्रामीण निवास स्थानों को कृषि एवं ग्रामीण बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वाले बड़े लिंक मार्गों को शामिल करके इसकी परिधि को और अधिक सुदृढ़ एव विस्तृत करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-।।। में इन सभी लिंक मार्गों को शामिल किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **ग्रामीण विकास मंत्रालय**	व्यय वित्त समिति ने दिनांक 31.08.2018 को हुई अपनी बैठक में *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-III* (पीएमजीएसवाई-III) का मूल्यांकन किया है और अनुमोदन दे दिया है। पीएमजीएसवाई-III के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।
8.	20	हम वर्षों से यह कहते रहे हैं कि भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश के जिले भी किसी न किसी कृषि उत्पाद में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं अथवा उसके लिए जाने जा सकते हैं। लेकिन इस पर विशेष ध्यान अब तक नहीं दिया गया है। जैसे उद्योग जगत के लिए क्लस्टर बेस्ड विकास का मॉडल अपनाया गया वैसे ही हमारे जिलों में कृषि उत्पाद को चिह्नित कर, वैज्ञानिक तरीके से क्लस्टर मॉडल पर विकास की आवश्यकता है।	ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब तक *श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन* के अंतर्गत कुल 295 क्लस्टरों के लिए अनुमोदन दिया है। इन क्लस्टरों के पूरा होने की समय सीमा वित्त वर्ष 2019-20 है। चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकारों के साथ मिल कर 100 ग्रामीण-शहरी क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा जिनमें आधारभूत सुविधाएं मौजूद होंगी।
9.	21	एक समूह में बागवानी फसलों की खेती करने से प्रचालन में कार्यदक्षता का लाभ मिलता है तथा इससे उत्पादन से लेकर विपणन तक की संपूर्ण श्रृंखला स्थापित करने को बढ़ावा मिला है। इससे संबंधित जिलों को विशिष्ट फसलों के लिए मान्यता भी प्राप्त होगी। कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों के साथ मिलकर अपनी चालू स्कीमों को नई दिशा देगा तथा कृषि-जिन्सों एवं संबंधित क्षेत्रों के समूह आधारित विकास को बढ़ावा देगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग**	*समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) स्कीम* के अंतर्गत लक्षित हस्तक्षेप के लिए सरकार द्वारा 99 क्लस्टरों की पहचान की गई है।
10.	22	हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया है। इसके लिए बड़े समूहों में जिनमें से प्रत्येक अधिमानतः 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का हो, कृषि उत्पादक संगठनों एवं ग्रामीण उत्पादक संगठनों	*परंपरागत कृषि विकास योजना* (पीकेवीवाई) के अंतर्गत सरकार ने जैव उत्पादों के विपणन के लिए पर्याप्त मात्रा सुलभ बनाने के लिए निर्णय लिया है। इसके लिए, मैदानी क्षेत्रों में 1000 हेक्टेयर का समूह बनाया जाएगा और पर्वतीय क्षेत्रों में 500 हेक्टेयर समीपस्थ

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला स्व-सहायता समूहों को भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत समूहों में जैविक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग** **ग्रामीण विकास मंत्रालय**	आधार पर समूहबद्ध किए जाएंगे ताकि जैव उत्पादों की बिक्री और विपणन बढ़ाना आसान हो जाए। राज्यों को जैव ग्राम क्लस्टरों की शुरूआत करने के लिए सलाह दे दी गई है। *महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी)* को डीएवाई-एनआरएमएम के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि में 1000 क्लस्टरों में जैव कृषि शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 28 राज्यों द्वारा कुल 1646 जैव-कृषि क्लस्टरों और 23,679 गांवों की पहचान की गई है। 57270 महिला किसानों के साथ 5816 स्थानीय समूह बनाए गए हैं। पीजीएस इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।
11.	23	हमारी पारिस्थितिकी अत्यधिक विशिष्ट औषधीय एवं सुगंध पौधों की खेती के भी अनुकूल है। भारत में बड़ी संख्या में लघु एवं कुटीर उद्योग भी चलाए जाते हैं, जिनमें इत्र, सुगंधित तेल एवं अन्य संबंधित उत्पादों को तैयार किया जाता है। हमारी सरकार संगठित कृषि एवं संबद्ध उद्योग को सहायता उपलब्ध कराएगी। मैं इस प्रयोजनार्थ ₹200 करोड़ की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आयुष मंत्रालय**	अत्यंत विशेषीकृत औषधीय तथा सुगंधित पौधों की खेती के संबंध में एक संक्षिप्त कार्य योजना तैयार की है ताकि आवंटित निधियों का उपयोग किया जा सके।
12.	24	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रति वर्ष औसतन 8 प्रतिशत की दर से विकसित हो रहा है। *प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना* खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमारा अग्रणी कार्यक्रम है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आबंटन की राशि 2017-18 के संशोधित अनुमान के ₹715 करोड़ से लगभग दोगुना करके 2018-19 में ₹1400 करोड़ की जा रही है। सरकार इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थाओं को स्थापित करने को बढ़ावा देगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**	प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में ₹1313 करोड़ मुहैया कराए गए हैं। कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक वित्तीय संस्था की स्थापना के लिए नाबार्ड के साथ परामर्श करते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
13.	25	टमाटर, प्याज और आलू ऐसी प्रमुख सब्जियां हैं, जिन्हें पूरे वर्ष प्रयोग में लाया जाता है। तथापि, शीघ्र नष्ट हो जाने वाले इन जिन्सों के मौसमी एवं क्षेत्रीय उत्पादन के कारण किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों को संतुष्ट करते हुए उनके बीच पारस्परिक संपर्क स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है। हमारी सरकार का प्रस्ताव ''ऑपरेशन फ्लड'' की तर्ज पर ''ऑपरेशन	आपरेशन ग्रीन्स स्कीम टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) की मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कार्रवाई करके मिशन मोड में विकास करने के लिए शुरू की गई है जिससे किसानों के लिए अधिक मूल्य वसूल करना संभव हो सकेगा, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिर हो सकेंगे और सब्जी बाजारों के स्थानिक/जमीनी एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकेगा। परियोजना घटकों में टॉप क्लस्टरों का विकास, किसान उत्पादक

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		ग्रीन्स'' शुरू करने का है। ''ऑपरेशन ग्रीन्स'' किसान उत्पादक संगठनों, कृषि संभारतंत्र, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। मैं इस प्रयोजनार्थ ₹500 करोड़ की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**	संगठन का व्यावसायिक विकास, भंडारण, कृषि संबंधी संभारिकी, परिरक्षण और प्रसंस्करण अवसंरचना तथा बाजार से जुड़े संपर्क शामिल हैं। स्कीम के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
14.	26	भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना काफी अधिक है, जो 100 बिलियन अमरीकी डालर तक हो सकती है जबकि मौजूदा निर्यात 30 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का किया जाता है। इस संभावना को प्रयोग में लाने के लिए कृषि जिन्सों के निर्यात को उदार बनाया जाएगा। मैं सभी 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वाणिज्य विभाग** **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**	दिनांक 6.12.2018 को मंत्रिमंडल द्वारा *कृषि निर्यात नीति* को अनुमोदित किया गया है। सभी बड़े फूड पार्कों को अपनी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने की सलाह दी गई है जिससे वे वैश्विक मानदंडों के अनुरूप हो सकें। इसके लिए वे मंत्रालय की 'खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन' की स्कीम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अन्य स्कीमों के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करना आसान बनाने के लिए, मेगा फूड पार्क स्कीमों से संबंधित दिशा-निर्देशों में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।
15.	27	मैं, किसान क्रेडिट कार्डों की सुविधा मात्स्यिकी एवं पशुपालन से जुड़े किसानों को भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि वे अपनी कार्य चालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस व्यवस्था से छोटे और सीमांत किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग**	भारतीय रिजर्व बैंक से *मत्स्य पालन और पशुपालन करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा* प्रदान करने के लिए बैंकों को उचित अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
16.	28	बांस ''हरित सोना'' है। हमने वन क्षेत्र से बाहर उगे बांस को पेड़ों की परिभाषा से अलग कर दिया है। अब मैं बांस क्षेत्र को एक सम्पूर्ण रूप में बढ़ावा देने के लिए ₹1290 करोड़ के परिव्यय के साथ एक पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग**	सरकार ने 26 अप्रैल, 2018 को ₹1290 करोड़ के कुल परिव्यय से *राष्ट्रीय बांस मिशन* की पुनर्संरचना को अनुमोदित कर दिया है।
17.	29	अनेक किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए सौर जल पंप संस्थापित कर रहे हैं। सौर विद्युत उत्पादन किसान द्वारा अपने खेतों का प्रयोग करके सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। भारत सरकार इस संबंध में आवश्यक उपाय करेगी तथा राज्य सरकारों को एक ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी	ई.एफ.सी. ने 26.06.2018 को *किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)* स्कीम का मूल्यांकन किया और उसके कार्यान्वयन की सिफारिश की। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे हैं। यह स्कीम विकेंद्रीकृत जमीन पर उठे ग्रिड में जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने, कृषि के लिए स्टैंड अलोन वाटर पंप संस्थापित

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		जिससे उनके अधिशेष सौर विद्युत को विद्युत वितरण कंपनियों या लाइसेंस धारकों द्वारा उचित लाभकारी मूल्यों पर खरीद लिया जाए। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**	करने, मौजूदा ग्रिड में जुड़े कृषि पंपों और ट्यूब वेलों/लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को सौर ऊर्जा युक्त बनाने के लिए तैयार की गई है ताकि किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान की जा सके। राज्य सरकारों/डिस्कॉमों को एक ऐसा तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके माध्यम से अधिशेष सौर ऊर्जा को राज्यों द्वारा लाभकारी प्रशुल्क देकर वितरण कंपनियों द्वारा खरीदी जा सकेगी।
18.	30	हमारी सरकार ने सिंचाई के निर्माण कार्यों की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड में एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) स्थापित किया है। इस कोष के स्कोप को विस्तारित करके विशिष्ट कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं को कवर किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **जल संसाधन विभाग**	*सिचांई अंतराल पूरा करने की प्रोत्साहन योजनाष (आईएसबीआईजी)* नामक एक नई योजना का मूल्यांकन ईएफसी द्वारा किया गया है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे हैं।
19.	31	गत वर्ष मैंने डेयरी उद्योग की आधारभूत सुविधाओं में वित्त निवेश में सहायता के लिए लघु सिंचाई तथा डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास कोष (डीपीआईडीएफ) के अंतर्गत कवरेज को विस्तार प्रदान करने के लिए लघु सिंचाई कोष (एमआईएफ) स्थापित करने की घोषणा की थी। अब इस प्रकार के निवेश कोषों को विस्तार प्रदान करने का समय है। अब मैं *मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए मत्स्य और जल कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफएआईडीएफ)* तथा पशुपालन क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता के वित्त पोषण के लिए *पशुपालन हेतु अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ)* स्थापित करने की घोषणा करता हूं। इन दोनों कोषों की कुल स्थायी निधि ₹10,000 करोड़ होगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग**	₹10,000 करोड़ की समग्र राशि में से ₹7,522.48 करोड़ *मत्स्य और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ)* स्थापित करने के लिए निर्धारित की गई। ₹2477.52 करोड़ की शेष राशि, *पशुपालन हेतु अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ)* के लिए निर्धारित की जाएगी।
20.	32	हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की राशि में वर्षानुवर्ष निरंतर वृद्धि करती रही है और यह राशि 2014-15 के ₹8.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2017-18 में ₹10 लाख करोड़ कर दी गई है। मैं अब इस राशि को वर्ष 2018-19 में ₹11 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग**	चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ₹11.00 लाख करोड़ के कृषि ऋण के लक्ष्य के मुकाबले अगस्त, 2018 तक संवितरित कृषि ऋण ₹9.15 करोड़ था।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
21.	33	वर्तमान में पट्टाधारी किसान फसल ऋण का लाभ नहीं उठा पाते। इसके परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा परती पड़ा रहता है तथा पट्टाधारी किसान सूदखोर महाजनों से ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नीति आयोग राज्य सरकारों से परामर्श करके भू-स्वामियों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पट्टाधारी किसानों को ऋण सुलभ कराने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करेगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **नीति आयोग**	नीति आयोग ने राज्य सरकारों से परामर्श कर *मॉडल एग्रिकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016* का प्रारूपण किया था। उपर्युक्त मॉडल विधेयक के अनुसरण में, बहुत से राज्यों ने अपने-अपने लैंड लीजिंग अधिनियमों की समीक्षा/दोबारा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। -उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने अपने-अपने कानूनों में संशोधन कर दिया है। -महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने भी भूमि को पट्टे पर देने को विधिक स्वरूप देने के लिए विधेयकों को पारित कर दिया है।
22.	34	सरकार किसानों को अपने आदानों की आवश्यकता, फार्म सेवाओं, प्रसंस्करण तथा विक्रय प्रचालनों से संबंधित आवश्यकता ज्ञात करने में सहायता के लिए कृषक उत्पादक संगठनों के लिए अनुकूल कराधान व्यवस्था लागू करेगी। इस संबंध में मैं अपने भाषण के भाग-ख में ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा।	प्रासंगिक प्रावधान (धारा 80तक) आयकर अधिनियम, 2018 में अंतर्विष्ट कर दिए गए हैं।
23.	35	एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण चिंता का विषय रहा है। वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने तथा फसल अपशिष्ट का खेत में ही प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी हेतु सब्सिडी प्रदान करने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष स्कीम लागू की जाएगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग**	सरकार ने *पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसलों के अवशेष का उसी स्थान पर ही प्रबंधन करने के लिए कृषि के मशीनीकरण को बढ़ावा देने की केंद्रीय सेक्टर की स्कीम* 7 मार्च, 2018 को अनुमोदित कर दी है। इस स्कीम को अप्रैल 2018 से कार्यान्वित किया गया है। फसलों के अपशिष्ट का उसी स्थान पर ही प्रबंधन करने की मशीनरी के वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने तथा सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां शुरू करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों तथा आईसीएआर को क्रमशः ₹269.38 करोड़, ₹137.84 करोड़, ₹148.60 करोड़ और ₹21.29 करोड़ की राशि जारी की गई है।
24.	38	गरीब महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति मिले, इसलिए हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी। शुरूआत में हमने लगभग 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन इस योजना के कार्यान्वयन की गति और महिलाओं में इसकी लोकप्रियता देखते हुए हमारा प्रस्ताव है कि यह लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाए। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय**	सरकार ने 9.2.2018 को 2019-20 तक पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने के लक्ष्य के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। निर्णय लागू कर दिया गया है और संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 5.89 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
25.	39	देश के हर घर में रोशनी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत, देश के 4 करोड़ गरीबों के घरों को बिना कोई शुल्क लिए बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना पर ₹16,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। घर में एक घंटा बिजली ना आए तो हमारी परेशानी और बेचैनी की आप कल्पना कर सकते हैं। आप उन महिलाओं और उन बच्चों के बारे में सोचिए, जिनके घर में अब बिजली नहीं पहुंची है। उनकी जिंदगी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के कारण बदलने जा रही है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **विद्युत मंत्रालय**	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार हैः *(राशि ₹ करोड़ में)* स्कीम | जीबीएस | ईबीआर | कुल डीडीयूजीजेवाई | 38,00 | 8,627 | 12,427 सौभाग्य | 3,700 | 6,373 | 10,073 कुल | 7,500 | 15,000 | 22,500 विद्युत मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही तक दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और सौभाग्य के अधीन क्रमशः ₹10,169.70 करोड़ और ₹2,690 करोड़ (कुल ₹12,859.70 करोड़) के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को जारी किए हैं। *25.12.2018 तक की स्थिति के अनुसार, राज्यों द्वारा 2.31 करोड़ घरों को सर्विस कनैक्शन मुहैया करवाए गए हैं।*
26.	40	स्वच्छ भारत मिशन से गरीब को लाभ पहुंचा है। इस मिशन के तहत, सरकार अब तक 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करा चुकी है। इन शौचालयों का सकारात्मक प्रभाव नारी की गरिमा, बेटियों की शिक्षा और पूरे परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। सरकार लगभग दो करोड़ शौचालय बनाने की योजना बना रही है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय**	वर्ष 2018-19 के दौरान, 2.13 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया है। *वर्ष 2014-15 से अब तक 9 करोड़ से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।*
27.	41	अध्यक्ष महोदया, गरीब की एक और चिंता रही है- सिर पर एक अदद छत की। भ्रष्टाचार करके जुटाई गई बेनामी संपत्तियों से दूर, गरीब तो बस ईमानदारी की कमाई से एक छत, एक छोटा सा मकान चाहता है। गरीब, अपने घर का सपना पूरा कर सके, इसके लिए हमारी सरकार, उसकी पूरी मदद कर रही है। हमने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2022 तक देश के हर गरीब के पास उसका अपना घर हो। इसके लिए देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2017-18 में 51 लाख और वर्ष 2018-19 में 51 लाख यानि एक करोड़ से ज्यादा घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने के लिए मदद स्वीकृत की गई है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **ग्रामीण विकास मंत्रालय**	राज्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उन्हें प्रदत्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर रूप से अनुरोध किया जा रहा है। *दिनांक 28.12.2018 तक की स्थिति के अनुसार 1.02 करोड़ मकानों के लक्ष्य की तुलना में पीएमएवाई-जी के अधीन 63 लाख से अधिक मकान पूरे किए गए।*

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
28.	42	हमारी सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में समर्पित सस्ता आवासन निधि (एएचएफ) की भी स्थापना करेगी, जिसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देय उधार में हुई कमी से और भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत पूर्णतः शोधित बांडों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वित्तीय सेवाएं विभाग**	राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ, ₹10,000 करोड़ की राशि के साथ *सस्ता आवासन निधि (एएचएफ)* की स्थापना की गई है।
29.	43	महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण को पिछले वर्ष के मुकाबले 37 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2016-17 में लगभग ₹42,500 करोड़ करा दिया गया था। हमारी सरकार पूरी तरह आश्वस्त है कि मार्च, 2019 तक स्व-सहायता समूहों को ऋण राशि बढ़ाकर ₹75,000 करोड़ कर दी जाएगी। मैं 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के आवंटन को पर्याप्त रुप से बढ़ाकर ₹5750 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **ग्रामीण विकास मंत्रालय**	*स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को ₹75,000 करोड़ के ऋण लक्ष्य के मुकाबले 27 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार, कुल ऋण बकाया ₹75024.74 करोड़ है।*
30.	44	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना द्ध हर खेत को पानी के तहत भू-जल सिंचाई स्कीम, सिंचाई से वंचित ऐसे 96 जिलों में शुरु की जाएगी जहां वर्तमान में 30 प्रतिशत से भी कम खेतों की सिंचाई सुनिश्चित हो पाती है। इस प्रयोजन के लिए मैंने ₹2600 करोड़ आवंटित किए हैं। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**	हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 2015-2020 की अवधि के लिए पहले से अनुमोदित मौजूदा पीएमकेएसवाई स्कीम के अंतर्गत भूमिगत सिंचाई के लिए एक प्रायोगिक परियोजना पर कार्य किया जाए। इस संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है और राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार ''सेफ'' के लिए अपने प्रस्ताव भेजें।
31.	47	हमने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचा तो दिया है किन्तु शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक गंभीर चिन्ता बनी हुई है। अब हमने शिक्षण के परिणाम परिभाषित किए है और जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करने के लिए 20 लाख से अधिक बच्चों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जिला-वार रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। अब हमारा प्रस्ताव नर्सरी-पूर्व से कक्षा 12 तक बिना किसी विखंडन के शिक्षा को समग्र रूप में देखने का है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**	सरकार ने दिनांक 28-3-2018 को *स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत स्कीम* अनुमोदित की है, जिसके द्वारा 1.4.2018 से 31.3.2020 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तर अर्थात स्कूल-पूर्व से लेकर कक्षा 12 तक केंद्रीय सहायता दी जाएगी। यह स्कीम *समग्र शिक्षा* के अधीन वर्ष 2018-19 के लिए आरंभ की गई है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
32.	48	अध्यापकों की गुणवत्ता सुधारने से देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सकती है। हम शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कार्यक्रम प्रारम्भ करेंगे। सेवा के दौरान शिक्षकों का प्रशिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमने 13 लाख से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**	*एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम* की प्राथमिक, माध्यमिक, कला शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा प्रणालियों के लिए अंतर्निहित विशेषज्ञता के साथ परिकल्पना की गई है जिसके साथ अनुशासनिक कोर (बीए/बीएससी) भी जोड़ा गया है। 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड आरंभ करने के लिए मसौदा विनियम तैयार कर लिए गए हैं और इस कार्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2019-20 से शुरू किए जाने की संभावना है।
33.	49	शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयोगी संचालक होगी। हमारा प्रस्ताव शिक्षा में डिजिटल गहनता बढ़ाने और धीरे-धीरे ''ब्लैक बोर्ड'' से ''डिजिटल बोर्ड'' की दिशा में बढ़ने का है। हाल ही में संचालित ''दीक्षा'' डिजिटल पोर्टल के जरिए शिक्षकों के कौशल उन्नयन के लिए भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**	(i) उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों में *''ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड''* शुरू करने और प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार सेवाओं के प्रभावी उपयोग से स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए तौर-तरीके तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। (ii) देश में स्कूल के अध्यापकों के लिए नव-प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों तक पहुंच बनाकर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक समर्पित डिजिटल बुनियादी संरचना, ''दीक्षा'' विकसित की है।
34.	50	सरकार, जनजातीय बच्चों को उनके अपने माहौल में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान को आगे ले जाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लाक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय के समतुल्य होंगे और इसमें खेलकूद और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **जनजातीय कार्य मंत्रालय**	सरकार ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान *''एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना (ईएमआरएस)'' का सुधार* करने के लिए 17.12.2018 को अनुमोदन दे दिया है।
35.	51	स्वास्थ्य संस्थाओं सहित, प्रमुख शैक्षाणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिए, मैं अगले चार वर्षों में ₹1,00,000 करोड़ के कुल निवेश के साथ ''2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुनःजानदार बनाने (राइज)'' नामक एक बड़ी पहल प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता हूं। इस पहल के वित्तपोषण के लिए	उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) ने अभी तक ₹24430.25 करोड़ के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है और इसमें से ₹12307.76 करोड़ की राशि प्रथम चरण में स्वीकृत की गई थी।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) को उपयुक्त रुप से तैयार किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **उच्चतर शिक्षा विभाग**	
36.	52	हमारी सरकार ने श्रेष्ठ संस्थानों की स्थापना के लिए बड़ी पहल की है। सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में संस्थानों द्वारा इस पहल की जबर्दस्त प्रतिक्रिया रही है। हमें 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है। हमने बड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी कदम उठाए हैं। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **रेल मंत्रालय**	राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, बडोदरा, गुजरात को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन मानद विश्वविद्यालय के रूप में दिनांक 26.07.2018 को अधिसूचित किया गया। कक्षाएं 5 सितम्बर, 2018 से शुरू हो चुकी हैं।
37.	53	हम चुनौती विधि पर चयन किए जाने वाले *योजना तथा वास्तुकला विद्यालय* के दो नए पूर्णतः सुसज्जित स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। इसके अतिरिक्त, आईआईटी/एनआईटी में 18 नए एसपीए की भी चुनौती विधि से स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापना की जाएगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **उच्चतर शिक्षा विभाग**	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव का व्यय वित्त समिति ने मूल्यांकन कर लिया है। आईआईटी/एनआईटी के निदेशकों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
38.	54	इस वर्ष सरकार "प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ) नामक योजना प्रारंभ करेगी। इसके अंतर्गत, हम प्रमुख संस्थाओं से हर वर्ष 1,000 उत्कृष्ट बी.टेक छात्रों की पहचान करेंगे और उन्हें एक अच्छी अध्येतावृत्ति देते हुए आईआईटी/आईआईएससी में पी.एच.डी. करने के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे। आशा है कि ये उदीयमान युवा अध्येता उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में स्वेच्छा से पढ़ाने के लिए सप्ताह में कुछ घंटे देंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **उच्चतर शिक्षा विभाग**	• सरकार ने दिनांक 7.2.2018 को आयोजित अपनी बैठक में *"प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ) योजना'* के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है जो 2018-19 से आरंभ होकर सात वर्ष की अवधि के लिए ₹1650 करोड़ की कुल लागत से चलाई जाएगी। • प्राप्त 1887 आवेदनों में से प्रथम बैच में 119 अध्येताओं को प्रवेश दिया गया। • सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए इस स्कीम को शुरू करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आईआईएसईआर को मेजबान संस्था के रूप में शामिल कर लिया गया है। ये दिशानिर्देश मई, 2019 के प्रवेश से प्रभावी होंगे।
39.	56	मैं, "आयुष्मान भारत" के अंतर्गत दो प्रमुख पहलों की घोषणा करता हूं जिनका लक्ष्य निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन दोनों को शामिल करके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देख-रेख प्रणाली में स्वास्थ्य समस्याओं से समग्र रूप से निपटने के लिए नवीन हस्तक्षेप कार्रवाई करना होगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**	*आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)* जिसे पहले आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एबीएनएचपीएम) नाम से जाना जाता था, मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 21.3.2018 को अनुमोदित की गई। पीएमजेएवाई का शुभारंभ 23.9.2018 को किया गया है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
40.	57	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केंद्र, लोगों के घरों के पास स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली लाएंगे। ये स्वास्थ्य केन्द्र असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देख-रेख उपलब्ध कराएंगे। ये केन्द्र आवश्यक दवाइयां और नैदानिक सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए इस बजट में ₹1200 करोड़ का प्रावधान करने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं इन केंद्रों को अपनाने में सीएसआर और लोकोपकारी संस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र को योगदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**	वर्ष 2022 तक चरणबद्ध रूप से 1.5 लाख एचडब्ल्यूसी प्रचालित किए जाने की योजना है। मार्च, 2019 तक 15000 एचडब्ल्यूसी के लक्ष्य के मुकाबले 21000 से अधिक एचडब्ल्यूसी के लिए अनुमति प्रदान की गई है। *राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.10.2018 की स्थिति के अनुसार 582 एस्पिरेशनल जिलों सहित 3508 एचडब्ल्यूसी प्रचालित किए जा रहे हैं।*
41.	59	हम एक फ्लेगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारम्भ करेंगे जिसके तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को दायरे में शामिल किया जाएगा जहां द्वितीयक और तृतीयक देख-रेख हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार ₹5 लाख प्रतिवर्ष तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य देख-रेख कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) एवं वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम (एससीएचआईएस) 23.9.2018 से पीएमजेएवाई में सम्मिलित कर दी गई।
42.	61	टीबी से किसी दूसरी संक्रामक बीमारी की तुलना में हर वर्ष अधिक जानें जाती हैं। यह मुख्य रूप से गरीब और कुपोषित लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए हमारी सरकार ने टी.बी. से पीड़ित सभी रोगियों को उनके उपचार की अवधि के दौरान ₹500 प्रति माह की दर पर पोषाहार सहायता प्रदान करने के लिए ₹600 करोड़ की अतिरिक्त राशि आवंटित की है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**	सरकार ने टीबी रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से *"निक्षय पोषण योजना"* के रूप में पोषण सहायता देना आरंभ किया है। इस स्कीम के अधीन इलाज के दौरान पोषाहार सहायता के रूप में सभी टीबी रोगियों को ₹500/- प्रति माह प्रदान किए गए हैं। *इस योजना का दिनांक 01.04.2018 से कार्यान्वयन किया जा रहा है।*
43.	62	स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देख-रेख की उपलब्धता में और वृद्धि करने के उद्देश्य से, हम देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24	*सरकार ने 17 नए चिकित्सा महाविद्यालयों को स्थापित करने का अनुमोदन किया है और अब तक ₹850 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।*

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		नए सरकारी चिकित्सा कालेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक चिकित्सा कालेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकारी चिकित्सा कालेज होगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**	
44.	63	हमारे गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के हमारे संकल्प का उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाना है। हम गोबर और ठोस अपशिष्ट को कम्पोस्ट, उर्वरक, बायो गैस और बायो-सीएनजी के रूप में बदलने के लिए खेतों में इसके प्रबंधन और रूपांतरण हेतु गाल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबर-धन) नामक योजना प्रारम्भ करेंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय**	दिनांक 30.04.2018 को *जैविक बायो एग्रो संसाधन धन का प्रयोग (गोबर-धन) योजना* शुरू की गई थी। दिनांक 30.04.2018 को नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
45.	64	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से केवल ₹330/- प्रति वर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 5.22 करोड़ परिवार ₹2 लाख के जीवन बीमा कवर से लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल ₹12 प्रतिवर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 13 करोड़ 25 लाख व्यक्तियों को ₹2 लाख के व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के साथ बीमित किया गया है। सरकार इसके तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों सहित सभी गरीब परिवारों को एक मिशन मोड में शामिल करने का प्रयास करेगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वित्तीय सेवाएं विभाग**	केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा वाली विभिन्न स्कीमों जिनमें मिशन मोड में पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई शामिल हैं, के अधीन अ.जा./अ.ज.जा सहित सभी गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए दिनांक 14.04.2018 से 05.05.2018 तक 484 जिलों के 16850 गांवों में बड़ी संख्या में गरीबों के लिए *ग्राम स्वराज अभियान* आयोजित किया गया ताकि चिन्हित कार्यक्रमों जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं - अर्थात् प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) शामिल हैं, के अधीन सर्वजन कवरेज दिया जा सके। ग्राम स्वराज अभियान के क्रम में, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अधीन पात्र व्यक्तियों को पूरी तरह शामिल करने के लिए 1 जून से 15 अगस्त, 2018 तक 115 आकांक्षी जिलों में विस्तारित ग्राम स्वराज्य अभियान आयोजित किया। *इस अभियान के दौरान, 26.11.2018 तक 19015 शिविर आयोजित किए गए थे और पीएमजेजीबीवाई के अधीन 18,67,193 लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले 16,71,590 लाभार्थियों के नाम इसमें शामिल किए गए और पीएमएसबीवाई के अधीन 27,93,204 के लक्ष्य में से 26,69,901 लाभार्थी इसमें नामांकित किए गए।*
46.	65	सरकार समस्त साठ करोड़ बुनियादी खातों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाकर इसके दायरे का विस्तार करेगी और इन खातों के जरिए	बैंकिंग की पहुँच बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए तथा देश के सभी परिवारों का प्रति परिवार कम से कम एक बैंक खाता हो, इस मुख्य उद्देश्य से दिनांक 28 अगस्त, 2014 को

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		लघु बीमा और असंगठित क्षेत्र की पेंशन योजनाओं की सेवाएं प्रदान करने हेतु उपाय करेगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वित्तीय सेवाएं विभाग**	प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) शुरू की गई थी। अब तक सरकार द्वारा कार्यान्वित वित्तीय समावेशन की पहलों से अर्जित लाभ को समेकित करने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए और इसे और आगे बढ़ाने के लिए इस योजना में कुछेक निम्नलिखित संशोधनों के साथ प्रत्येक परिवार से प्रत्येक वयस्कष की ओर नए सिरे से महत्व देना शुरू किया गया हैः- (i) ₹5000 की मौजूदा ओवर ड्राफ्ट सीमा (ओडी) को बढ़ाकर ₹10000 करना। (ii) ₹2000 तक के ओवर ड्राफ्ट के लिए कोई शर्तें बाध्यकारी नहीं होंगी। (iii) ओडी सुविधा प्राप्त करने के लिए आयु सीमा में संशोधन करके जो 18-60 वर्ष से बढ़ाकर 18-65 वर्ष कर दिया गया है। (iv) दिनांक 28.8.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के लिए नए रुपे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को मौजूदा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है। पीएमजेडीवाई के अधीन खाता खोलना एक सतत्/निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।
47.	68	सरकार ने पूरा ध्यान देने और समावेशी समाज का सपना पूरा करने के लिए विकास के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए ऐसे 115 आकांक्षी जिलों की पहचान की है। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन जैसी सामाजिक सेवाओं में तथा सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल और जल्द एवं समयबद्ध तरीके से शौचालयों की सुलभता जैसी आधारभूत सुविधाओं में निवेश करके इन जिलों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। हमें आशा है कि ये 115 जिले विकास के माडल बनेंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **नीति आयोग**	*एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम* 5 जनवरी, 2018 को आरंभ किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य इन जिलों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढाँचे जैसे प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तेज़ी से बदलना है।उसी के लिए, नीति आयोग ने 81 डेटापॉइंट वाले 49 संकेतकों का चयन किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सेतु के रूप में कार्य करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर प्रभारी अधिकारियों को नामित किया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर लगातार फोकस किए जाने के कारण एक रफ्तार उत्पन्न हुई है, जिसके चलते हमें उम्मीद है कि चिन्हित संकेतकों में तेजी से बदलाव आएगा।नीति आयोग की निगरानी ने जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ा दिया है।
48.	71	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश की प्रगति तथा रोजगार के प्रमुख वाहक हैं। मैंने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता, पूंजी और ब्याज सब्सिडी तथा नवोन्मेष के लिए ₹3794 करोड़ का प्रावधान किया है। विमुद्रीकरण और जीएसटी लागू होने के पश्चात् देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के व्यवसायों को बड़े पैमाने पर संगठित किया जा रहा है। यह सूक्ष्म,	फिनटेक कंपनियों के माध्यम से जीएसटीएन का उपयोग करते हुए एमएसएमई को प्रवाह आधारित उधार दिये जाने के संबंध में नीतिगत दिशानिर्देशों पर कार्यदल गठित किया गया है। क्रेडिट सहायता, पूंजी और ब्याज सब्सिडी सुनिश्चित करने के लिए, सरकार क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटी-एमएसई) और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के तहत सभी लंबित देनदारियों को पूरा कर रही है।इस वर्ष पहले से ही ₹311.00

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		लघु और मध्यम उद्यमों के व्यवसायों और वित्त साधनों का प्रचुर वित्तीय सूचना डाटाबेस बना रहा है। यह बड़ा डाटा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कार्यशील पूंजी सहित पूंजी की जरूरतों के वित्तपोषण में सुधार करने हेतु प्रयोग किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**	करोड़ एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को जारी किए गए हैं और सीएलसीएसएस की देनदारियों को पूरा करने के लिए संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ₹941.76 करोड़ जारी किए गए हैं। सरकार एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण की मंजूरी में होने वाले विलंब को कम करने के लिए जीएसटीएन से डेटासाझा करने की संभावना का पता लगा रही है।
49.	72	यह प्रस्ताव है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और कारपोरेटों को ट्रेड इलैक्ट्रानिक रिसिवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रैड्स) पर आनबोर्ड किया जाए और इसे जीएसटीएन के साथ जोड़ा जाए। बैंकों द्वारा शीघ्र निर्णय लेने के लिए एमएसएमई हेतु आनलाइन ऋण स्वीकृति सुविधा सुधारी जाएगी। सरकार एमएसएमई की अनर्जक आस्तियों और भारग्रस्त खातों के प्रभावी समाधान के उपायों की शीघ्र घोषणा करेगी। यह एमएसएमई के लिए बृहत वित्तपोषण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा और उनके द्वारा झेली जा रही नकदी प्रवाहों की चुनौतियों को काफी सहज भी बनाएगा। मैं एमएसएमई पर करों का भार घटाने और अनेक नौकरियां सृजित करने के लिए अपने भाषण के भाग-ख में कुछ कर उपायों की घोषणा करूंगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वित्तीय सेवाएं विभाग**	सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) और 211 बड़े कार्पोरेटों को ट्रैड्स प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है। एमएसएमई पर केंद्रित विभिन्न प्राप्य मदों को सुनिश्चित करने जिनमें ऋण की सुलभता, नकदी प्रवाह में आसानी सुनिश्चित करना शामिल है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उठाया गया कदम यह है कि 2 नवम्बर, 2018 को शुरू किए गए वेबपोर्टल *www.psbloansin59minutes.com* के माध्यम से एमएसएमई को 59 मिनट के भीतर संपर्करहित ऋण मुहैया कराया जाएगा।यह पोर्टल जीएसटीएन, आयकर, सिबिल स्कोर आदि से वितरित डेटा बिंदुओं की जानकारी पर आधारित है। आरबीआई ने अपने दिनांक 07.02.2018 के परिपत्र के जरिए आरबीआई द्वारा विनियमित सभी बैंकों और एनबीएफसी को सलाह दी है कि वे उन उधारकर्ताओं ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकरण के लिए दी गई समय सीमा 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों कर दें जो 31.01.2018 की स्थिति के अनुसार जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जो 01.09.2017 से 31.01.2018 के बीच उधारकर्ताओं से भुगतान के लिए लागू है। इसके अलावा, आरबीआई ने अपने दिनांक 06.06.2018 के परिपत्र के जरिए बैंकों और एनबीएफसी को कुछ शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से अपने जोखिम को सभी एमएसएमई के लिए पिछले 180 दिनों के विधिवत मानदंड के अनुसार और जो जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें ''मानक'' आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देने का फैसला किया है।
50.	73	अप्रैल, 2015 में शुरू की गई मुद्रा योजना की मदद से 10.38 करोड़ मुद्रा ऋणों से उधार के रूप में 4.6 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ऋण के 76 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं और 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। पिछले सभी वर्षों में लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त करने के पश्चात 2018-19 में मुद्रा के अंतर्गत उधार देने के लिए ₹3 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वित्तीय सेवाएं विभाग**	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) के लिए ₹3.00 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एमएलआई के बीच आवंटित किया जाता है।दिनांक 09.11.2018 तक, 2.29 करोड़ उधारकर्ताओं के लिए ₹1,23,285.06 करोड़ (41%) मंजूर किए गए।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
51.	74	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने विमुद्रीकरण के पश्चात एमएसएमई का वित्तपोषण बढ़ाया है। एनबीएफसी मुद्रा के अंतर्गत ऋण देने के लिए बहुत शक्तिशाली साधन हो सकती हैं। एनबीएफसी के बेहतर वित्तपोषण हेतु मुद्रा द्वारा निर्धारित पुनर्वित्तपोषण नीति और पात्रता मापदंडों की पुनरीक्षा की जाएगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वित्तीय सेवाएं विभाग**	मुद्रा लि. ने एनबीएफसी के लिए अपनी पुनर्वित्त योजना की समीक्षा की है और इसके बोर्ड द्वारा निम्नलिखित छूटों के साथ एक ज्ञापन को अनुमोदित किया गया है: i. यदि कोई एनबीएफसी एए और उससे अधिक की वैदेशिक रेटिंग वाली किसी अन्य एनबीएफसी / कॉरपोरेट की गारंटी देता है तो संस्तुति समिति द्वारा वैदेशिक रेटिंग मानदंड में छूट दी जा सकती है। ii. 1.10 गुना की आस्ति कवरेज के साथ सुरक्षा (1.25 गुना से कम की गई)। iii. एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर को मुद्रा की पूंजीगत निधियों के 100% से बढ़ाकर 200% तक किया गया है।
52.	75	वित्तपोषण के क्षेत्र में फिनटेक का प्रयोग एमएसएमई के विकास में सहायता करेगा। वित्त मंत्रालय में एक समूह के विकास भारत में फिनटेक कंपनियों के विकास हेतु अच्छा माहौल बनाने हेतु जरूरी संस्थागत विकासात्मक उपायों और नीति की जांच कर रहा है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग(निवेश प्रभाग)**	आर्थिक कार्य विभाग ने भारत में फ़िनटेक क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए सचिव, आर्थिक कार्य की अध्यक्षता में *फिनटेक संबंधी एक संचालन समिति* का गठन किया है ताकि फिनटेक से संबंधित विनियमों को और अधिक लचीला बनाया जा सके और ऐसे क्षेत्र में, जहां भारत को अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुक़ाबले स्पष्ट विशिष्ट तुलनात्मक लाभ हैं, अधिक उद्यमिता सृजित की जा सके। समिति इस बात पर भी ध्यान देगी कि एमएसएमई के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए फिनटेक का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है।
53.	76	उद्यम पूंजी निधियों और एंजिल निवेशकों को उनकी संवृद्धि हेतु नवोन्मेषी और विशेष विकासात्मक व नियामक व्यवस्था की जरूरत होती है। हमने ''स्टार्ट-अप इंडिया'' कार्यक्रम शुरू करके, देश में बहुत ठोस वैकल्पिक निवेश व्यवस्था बनाकर तथा उद्यम पूंजी निधियों व एंजिल निवेशकों के विशेष स्वरूप के लिए तैयार की गई कराधान व्यवस्था आरंभ करने सहित अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। हम उनके विकास और भारत में वैकल्पिक निवेश निधियों के सफल कार्यचालन हेतु माहौल सुदृढ़ करने के अतिरिक्त उपाय करेंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग(एफएम प्रभाग)**	*भारत में उद्यम पूंजी, स्टार्ट अप और वैकल्पिक निवेश निधियों के फ्रेमवर्क की विनियामक और कर संरचना को सुधारने के लिए एजेंडा की जांच आईवीसीए एवं संबंधित एजेंसियों/विभागों के परामर्श करके की गई और इसे उपर्युक्त कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को परिचालित कर दिया गया है।* *अब तक ''सेबी के एआईएफ विनियम, 2012'' में दी गई छूटों के संबंध में निम्नलिखित ठोस कदम उठाए गए हैं और चालू वित्त वर्ष में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को क्षेत्रक विनियामक के साथ परामर्श करके अवस्थित करने के लिए एआईएफ को निम्मानुसार प्रोत्साहित किया गया है:-* *(i) सेबी ने दिनांक 1.6.2018 की अधिसूचना के जरिए उद्यम पूंजी उपकर्मों में एंजल निधियों की अधिकतम निवेश सीमा को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया है।* *(ii) सेबी ने एआईएफ और उद्यम पूंजी निधियों द्वारा विदेशों में किए जाने वाले निवेश की सीमा 500 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1250 अमरीकी डालर कर दी है।* *(iii) सेबी ने बाजार भागीदारों के साथ परामर्श करके दिनांक 26.11.2011 को ''आईएफएससी में वैकल्पिक निवेश निधियों से संबंधित प्रचालन दिशा-निर्देश'' जारी कर दिए हैं।* *(iv) सेबी बोर्ड ने संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफार्म को ''नवोन्मेषकर्ता विकास प्लेटफार्म'' के रूप में नवीकृत किया है।*

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
54.	79	मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि सरकार अगले तीन वर्ष तक सभी क्षेत्रों की कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत का अंशदान करेगी। इसके अतिरिक्त, नियत काल के रोजगार की सुविधा सभी क्षेत्रों में दी जाएगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**	सरकार ने नियोक्ता के 12% के अंशदान के भुगतान के लिए (यानी ईपीएफ का 8.33% + ईपीएस का 3.67%) जो 8.33% से बढ़ाया गया, को 01.04.2018 से, नए और मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में तीन साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी। प्रतिष्ठानों के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2019 है। *"औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत "नियत अवधि रोजगार कामगार" श्रेणी को दिनांक 16.3.2018 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 235 (अ)के जरिए भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।*
55.	80	औपचारिक क्षेत्र में अधिकाधिक महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अपेक्षाकृत अधिक निवल वेतन प्राप्त करने के लिए मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं जिसके जरिए महिला कर्मचारियों के अंशदान को प्रथम तीन वर्षों के लिए विद्यमान 12 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया जाएगा और नियोक्ता के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**	सरकार ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विचार कर रही है।
56.	81	सरकार प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत देश के हर जिले में माडल महत्वाकांक्षी कौशल केन्द्र स्थापित कर रही है। ऐसे केन्द्रों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र खोले गए हैं। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय**	सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 548 जिलों को कवर करते हुए 676 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) चिन्हित किए गए हैं। *कुल आवंटित पीएमकेके में से, 493 पीएमकेके पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।*
57.	82	*परिधान और तैयार संघटकों* को बढ़ावा देने के लिए 2016 में ₹6,000 करोड़ का व्यापक कपड़ा क्षेत्र पैकेज अनुमोदित किया गया था। मैं अब वस्त्र क्षेत्र के लिए 2018-19 में ₹7148 करोड़ का परिव्यय उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वस्त्र मंत्रालय**	वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में ₹7148 करोड़ की कुल निधियाँ प्रदान की गई हैं।
58.	85	भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, हम सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क की आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। लद्दाख क्षेत्र को सभी मौसमों में जोड़े रखने के लिए रोहतांग सुरंग पूरी हो चुकी है।	**सेला सुरंग का निर्माण** सेला सुरंग के निर्माण के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है और 23.10.2018 को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। यह कार्य तीन वर्ष में पूरा करने की योजना है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		14 किमी से अधिक की जोज़िला पास सुरंग के निर्माण का ठेका सही प्रगति कर रहा है। मैं अब सेला पास के नीचे सुरंग का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। *सरकार पर्यटन और आपातकालीन चिकित्सा सेवा के संवर्धन हेतु समुद्री प्लेन के कार्यकलापों में निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक ढांचा बनाएगी।* **नोडल मंत्रालय/विभागः** **रक्षा विभाग** **नागर विमानन मंत्रालय**	**सीप्लेन कार्यकलापों में निवेश** एक कार्यदल का गठन किया गया है जिसमें रक्षा, नौवहन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डीजीसीए, बीसीएएस, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संबंधित राज्य सरकारों के सदस्यों को शामिल किया गया है, जो देश में वाटरड्रोम को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय संपर्क स्कीम उड़ान में जलाशयों को शामिल करने की संभावनाओं का पता लगाने के तरीकों पर ध्यान देंगे।
59.	88	भारत में पर्यटन स्थलों की प्रचुरता है। यह प्रस्ताव है कि दस प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को आधारभूत ढांचा व कौशल विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, निजी निवेश आकर्षित करके, ब्रांडिंग व विज्ञापन का अनुसरण करते हुए संपूर्ण रूप से आदर्श पर्यटन गंतव्यों में विकसित किया जाए। इसके अतिरिक्त, आगंतुकों का अनुभव बढ़ाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 100 आदर्श स्मारकों में पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **पर्यटन मंत्रालय**	पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए 12 समूहों में 17 स्थलों की पहचान की है। पर्यटन मंत्रालय ने गुजरात में सोमनाथ और धोलाविरा को छोड़कर सभी स्थलों पर हितधारकों के साथ परामर्श किए हैं। मास्टर प्लान तैयार करने और निर्धारित स्थानों पर विभिन्न परियोजनाओं की पहचान करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने चिन्हित 100 आदर्श स्मारकों जिनमें 10 प्रतिष्ठित स्थल भी शामिल हैं, पर दर्शनार्थियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने/उन्नयन करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें शौचालय ब्लॉकों का निर्माण, पेयजल की सुविधाएं, बैंच, साइनबोर्ड, पैदल पथ, डस्टबिन इत्यादि की व्यवस्था करना शामिल है।
60.	91	मेरा मंत्रालय सामरिक और बड़े सामाजिक लाभ को दृष्टिगत रखते हुए, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधाओं में निवेशों सहित बड़ी आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता करने के लिए इंडिया इफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कारपोरेशन लि. से लाभ उठाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग,** **अवसंरचना नीति और वित्त प्रभाग**	अब यह प्रस्ताव किया गया है कि सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आईआईएफसीएल की सहायक कंपनी के रूप में अलग बजटेतर संसाधन (ईबीआर) जुटाने का साधन बनाने की बजाय, यह कार्य आईआईएफसीएल के तुलन पत्र पर ही करना अधिक व्यवहार्य हो सकता है।इसके लिए अतिरिक्त पूंजी और 'स्कीम फॉर फाइनेंसिंग वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स' (सिफ़्टी) के दिशानिर्देशों में कुछ बदलावों की आवश्यकता होगी। तदनुसार, कार्रवाई शुरू की गई है।
61.	92	सरकार ने सड़क अवसंरचना क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमें विश्वास है कि हम 2017-18 के दौरान 9000 किलोमीटर से अधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा कर सकेंगे। देश के भीतरी और पिछड़े क्षेत्रों व सीमाओं को निर्बाध संपर्कता उपलब्ध कराने के लिए ₹5,35,000 करोड़ की अनुमानित लागत से चरण-1 में लगभग 35,000 किलोमीटर के सड़क निर्माण हेतु महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना अनुमोदित की गई है। एनएचएआई अपनी तैयार	सरकार ने अगस्त, 2016 में टोल, संचालन और अंतरण (टीओटी) मॉडल को मंजूरी दे दी। इसका 2021-22 तक टीओटी रियायतों के तहत लगभग ₹34,000 करोड़ की धनराशि जुटाने का लक्ष्य है। 2018-19 के दौरान टीओटी के तहत ₹10,000 करोड़ की निधियाँ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। टीओटी परियोजनाओं के पहले बंडल के लिए रियायतें दी गई है और रियायतकर्ता से ₹9,681.50 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। एनएचएआई की 123 वीं बोर्ड बैठक में एनएचएआई इनविट और एक विशेष प्रयोजन साधन के निर्माण के प्रस्ताव सहित अन्य

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		सड़क आस्तियों हेतु बाजार से इक्विटी जुटाने के लिए, अपनी सड़क आस्तियों को विशेष प्रयोजन साधन बनाने और टोल, चलाओ और अंतरण करों (टीओटी) तथा आधारभूत सुविधा निवेश निधियों जैसे नए मुद्रीकरण ढांचों का प्रयोग करने पर विचार करेगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**	संबंधित गतिविधियों पर चर्चा की गई। बोर्ड द्वारा इस पर आगे विचार करने से पहले एक और टीओटी बंडल पर सम्यक तत्परता के साथ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
62.	93	रेलवे नेटवर्क मजबूत करना और रेलवे की ढुलाई क्षमता बढ़ाना, सरकर का प्रमुख केन्द्र बिंदु रहा है। वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे कैपेक्स ₹1,48,528 करोड़ रखा गया है। कैपेक्स का बड़ा हिस्सा क्षमता सृजन के लिए है। 18000 किलोमीटर के दोहरीकरण' तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण कार्य और 5000 किलोमीटर के गेज परिवर्तन क्षमता के अवरोधों को समाप्त कर देंगे और लगभग समूचे नेटवर्क को ब्राड गेज में बदल देंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **रेल मंत्रालय**	नवम्बर, 2018 तक नई लाइनों, डबलिंग और गेज परिवर्तन की प्रगति निम्नानुसार हैः नई लाइन (2018-19 के लिए लक्ष्यः 1000 किमी; उपलब्धिः 212.6 किमी); डबलिंग (2018-19 के लिए लक्ष्यः 2100 किमी; उपलब्धिः 967.7 किमी); गेज परिवर्तन (2018-19 के लिए लक्ष्यः 1000 किमी; उपलब्धिः 211.3 किमी)।
63.	94	रेलवे द्वारा वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हम रेलवे नेटवर्क के इष्टतम विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान 4000 किलोमीटर के प्रारंभण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **रेल मंत्रालय**	2017-18 के दौरान 4000 किलोमीटर के विद्युतीकरण के लक्ष्य के मुकाबले, 2017-18 के दौरान 4087 किलोमीटर के मार्गों को विद्युत कर्षण चालित किया गया है।
64.	95	पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल भाड़ा गलियारों से संबंधित कार्य जोर-शोर से चल रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान पर्याप्त चल स्टॉक 12000 वैगनों, 5160 कोचों और लगभग 700 लोकोमोटिव की खरीदारी की जा रही है। माल शेडों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा निजी साइडिंग के फास्ट ट्रैक शुरू करने के लिए एक वृहत कार्यक्रम शुरू किया गया है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **रेल मंत्रालय**	नवम्बर-अंत 2018 तक कुल 406 लोकोमोटिव (97 डीजल और 309 इलेक्ट्रिक) और 3792 कोचों का निर्माण किया गया है। निजी निवेश के माध्यम से माल ढुलाई टर्मिनलों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं: I. **निजी साइडिंग नीतिः** इस नीति का उद्देश्य पक्षकार के द्वार यानी कारखाना, परिसर, कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्रों में रेल संपर्क प्रदान करना है, और निर्मित उत्पादों के परिवहन के लिए विनिर्माण केंद्रों को देश भर के बाजारों के साथ जोड़ना है। 2018-19 के दौरान, 12 निजी साइडिंग और 3 निजी फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) चालू किए गए हैं। II. **निजी माल टर्मिनल (पीएफटी) नीतिः** निजी निवेश करके माल टर्मिनलों के नेटवर्क का तेजी से विकास करने के लिए और अंतिम-उपयोगकर्ताओं के लिए वेयरहाउसिंग समाधान के साथ कुशल और लागत प्रभावी संभार सेवाएं प्रदान करने के लिए, एक

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			योजना अर्थात्, निजी माल टर्मिनल (पीएफटी) शुरू की गई थी। इसयोजना के तहत 107 स्थानों पर पीएफटी विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।कुल 59 पीएफटी कमीशन किए गए हैं और कार्य कर रहे हैं। 42 प्रस्तावों के लिए सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और शेष 6 पर कार्रवाई चल रही है।
65.	96	''सबसे पहले सुरक्षा'' नीति जिसे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के अंतर्गत पर्याप्त निधियों का आबंटन किया जाता है, रेलवे की आधारशिला है। पटरियों की अवसंरचना के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चालू राजकोषीय वर्ष में रेल की लगभग 3600 किमी पटरियों के नवीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अन्य प्रमुख कदमों में ''फाग सेफ'' तथा ''ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम'' जैसी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग बढ़ाना शामिल है। अगले दो वर्षों में 4267 मानवरहित लेवल क्रासिंग को समाप्त कर ब्रॉड गेज नेटवर्क में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **रेल मंत्रालय**	''सबसे पहले सुरक्षा'' नीति (सेफ्टी फर्स्ट)' के तहत, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित 'फॉग पास डिवाइस (एफपीडी)' विकसित किया गया है। 6,940 एफपीडी अब तक शुरू किए गए हैं। 2018-19 में आगे और खरीद और संचालित करने के लिए 6,000 एफपीडी मंजूर किए गए हैं। ट्रेन सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली - अगले 5-6 वर्षों में रेलवे के ब्रॉड गेज (बीजी) नेटवर्क पर पूर्ण 60,000 आरकेएम को लागू करने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (ईटीसीएस स्तर -2) को निर्माण कार्यक्रम 2018-19 में शामिल किया गया है।व्यापक परीक्षण हेतु निर्माण कार्य मंजूर करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2017-18 के 4023 कि.मी. का ट्रैक नवीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। 1 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार, ब्रॉड गेज पर मानव रहित लेवल क्रॉसिंग 28 बाकी हैं। कार्य लक्ष्य के मुताबिक जारी है।
66.	97	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कंपनी लि. द्वारा 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुनः विकसित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। 25000 से अधिक आगंतुकों वाले सभी स्टेशनों में एस्कलेटर होंगे। सभी रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी स्टेशनों पर और रेलगाडियों में सीसीटीवी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि यात्रियों की संरक्षा बढ़ाई जा सके। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, पेराम्बुर में उन्नत सुविधाओं ओर विशेषताओं से युक्त आधुनिक ट्रेन-सेट तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे पहले ट्रेन सेटों का प्रारंभण वर्ष 2018-19 के दौरान किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **रेल मंत्रालय**	• भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) को सभी स्टेशनों का तकनीकी - आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। इन अध्ययनों के समाप्त होने पर चरणबद्ध रूप से पुनर्विकास का कार्य शुरू किया जाएगा। • नवम्बर 2018 तक, 574 एस्केलेटर चालू किए गए थे।वाई-फाई इंटरनेट सुविधा का काम अब तक 721 स्टेशनों पर पूरा किया जा चुका है। 436 स्टेशनों पर सीसीटीवी की सुविधा दी गई है। • अत्याधुनिक सुविधाओं और विशेषताओं के साथ आधुनिक ट्रेन सेटों का विकास इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, पेरंबूर में चल रहा है।आईसीएफ ने 16 कोच का पहला रेक निर्मित कर दिया है।
67.	98	मुंबई की परिवहन प्रणाली, जो उस शहर की जीवन रेखा है, का विस्तार किया जा रहा है और ₹11,000 करोड़ की लागत से इसमें 90 कि. मी. दोहरी पटरियां (डबल लाइन ट्रैक) जोड़ी जा रही हैं। लगभग ₹40,000 करोड़ की लागत से 150 किमी के अतिरिक्त उप नगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है जिसमें कुछ खंडों में ऊंचे उठे हुए गलियारे शामिल हैं।	*मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना* - ₹54,777 करोड़ की लागत पर 367 किलोमीटर के निर्माण कार्य फेज-III क पर विचार किया जा रहा है। एमआरवीसी ने परियोजना के ''सिद्धांततः'' अनुमोदन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। *बैंगलोर उपनगर रेवले* - ₹17,000 करोड़ की लागत पर 143 किलोमीटर की लाइन की क्षमता के उन्नयन के लिए गलियारों का निर्माण प्रगति पर है। कर्नाटक रेल अवसंरचना विकास उद्यम (के-

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		बेंगलुरू मेट्रोपोलिस के विकास की जरूरतों को पूरा करने लिए ₹17,000 करोड़ की अनुमानित लागत पर लगभग 160 किलोमीटर के उपनगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **रेल मंत्रालय**	राइड) के बोर्ड (राज्य जेवी) इस अध्ययन की जिम्मेदारी लेने और कर्नाटक सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस पर कार्रवाई करने हेतु सहमत हो गया है।
68.	99	भारत की पहली तीव्र गति (हाईस्पीड) वाली रेल परियोजना, मुम्बई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला 14 सितम्बर, 2017 को रखी गई। ''हाई स्पीड'' रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए बड़ोदरा में एक संस्थान स्थापित किया जा रहा है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **रेल मंत्रालय**	मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है। स्थल सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मानक और विनिर्देश एवं संरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस परियोजना के लिए 26 निविदा पैकेजों में से, 4 को कार्य सौंप दिए गए हैं, 8 को 2018-19 में कार्य सौंपा जाएगा और शेष 14 के संबंध में 2019-20 में अंतिम रूप दिया जाएगा। वड़ोदरा में मुख्य प्रशिक्षण संस्थान को दिसंबर, 2020 तक कार्यात्मक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण संस्थान के लिए भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है और स्थल की मंजूरी पूरी हो चुकी है।छात्रावास भवन फरवरी और जुलाई 2019 में चरणों में तैयार हो जाएगा और निर्माण अधिकारियों / पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण फरवरी, 2019 में शुरू होगा।
69.	100	पिछले तीन वर्षों में घरेलू हवाई यात्री यातायात प्रति वर्ष 18 प्रतिशत बढ़ा और हमारी एयरलाइन कंपनियों ने 900 से अधिक एअरक्राफ्टों की खरीद के लिए आर्डर प्लेस किया है। पिछले वर्ष सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम देश भर के 56 ऐसे हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों में कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जहां पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे 16 हवाई अड्डों पर प्रचालन शुरू किए जा चुके हैं। *सरकार की इस पहल से हवाई चप्पल पहनने वाले नागरिक भी जहाज से यात्रा कर रहे हैं।* भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास 124 हवाई अड्डे हैं। नई पहल-नभ निर्माण स्कीम के अंतर्गत वर्ष में एक बिलियन यात्राओं को संभालने के लिए हमारी हवाई अड्डों की क्षमता का 5 गुने से अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस विस्तार को धन उपलब्ध कराने के लिए अधिक संसाधन जुटाने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के तुलन-पत्र को लिवरेज किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **नागर विमानन मंत्रालय**	सरकार ने राज्य सरकारों, एएआई, सिविल इन्क्लेव और सीपीएसयू की 50 असेवित और कम सेवित हवाई पट्टियों के विकास के पुनरूद्धार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है जिसकी कुल लागत भारत सरकार की बजटीय सहायता से ₹4,500 करोड़ होगी। *क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) की स्थितिः* उड़ान-I और उड़ान-II के तहत 34 आरसीएस विमानपत्तन और 102 आरसीएस मार्ग पहले ही प्रचालित किए जा चुके हैं। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए प्रस्तावित लेनदेन संरचना को *नभ निर्माण पहल* के तहत हितधारकों के साथ परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। *एएआई तुलन पत्र का लाभ उठानाः* एएआई ने ₹1,500 करोड़ के रुपया सावधि ऋण लेने के प्रयास शुरू किए हैं।एएआई ने अगले चार वर्षों के लिए अपने पूंजीगत व्यय का एक हिस्सा लगभग ₹8,000 करोड़ के बाज़ार उधारों से वित्तपोषित करने का भी प्रस्ताव किया है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
70.	101	सुनम्य आधारभूत सुविधा के विकास के लिए अच्छी अंतरराष्ट्रीय परिपाटियां विकसित करने, समुचित मानक और विनियामक तंत्र विकसित करने के लिए आपदारोधी आधारभूत सुविधा पर गठबंधन स्थापित करने का हमारा प्रयास भलीभांति कार्य कर रहा है। वर्ष 2018-19 में इस पहल को शुरू करने के लिए ₹60 करोड़ आबंटित करने का मेरा प्रस्ताव है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **गृह मंत्रालय**	गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट *"सीडीआरआई की स्थापना"* भारत सरकार को सौंपी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) सीडीआरआई के लिए रोडमैप बनाने की कार्रवाई में लगा है।
71.	102	सरकार और बाजार विनियामकों ने भारत में आधारभूत सुविधा निवेश न्यास (इनविट) और वास्तविक निवेश न्यास (आरईआईटी) जैसे मुद्रीकरण वाहनों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। सरकार अगले वर्ष से इनविट का प्रयोग करते हुए चुनिंदा सीपीएसई की आस्तियों के मुद्रीकरण की शुरूआत करेगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग**	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग *सरकारी क्षेत्र की आस्ति के मुद्रीकरण हेतु अपनाए जाने वाले व्यापक ढांचे* के सृजन के लिए आवश्यक मंजूरी लेने के कार्य में लगा है।
72.	104	भारतीय रिजर्व बैंक ने कारपोरेटों को बांड बाजार से जुड़ने के लिए टहोका देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सेबी भी बड़े कारपोरेटों से शुरू कर अधिदेश देने पर विचार करेगा ताकि उनकी एक चौथाई वित्तीय जरूरतें बांड बाजारों से पूरी की जा सकें। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग (एफएम प्रभाग)**	सेबी ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है।
73.	105	बीबीबी रेटिंग वाले या समकक्ष रेटिंग वाले कार्पोरेट बांड निवेश ग्रेड होते हैं। भारत में अधिकांश विनियामक (रेगुलेटर) केवल एए रेटिंग बांडों को ही निवेश के उपयुक्त मानकर उनकी अनुमति देते हैं। अब समय आ गया है कि एए से ए ग्रेड रेटिंग की ओर बढ़ा जाए। सरकार और संबंधित विनियामक इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग (एफएम प्रभाग)**	सेबी ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है।
74.	106	राज्यों से परामर्श कर हम वित्तीय प्रतिभूति संव्यवहार से संबंधित स्टांप ड्यूटी व्यवस्था के संबंध में सुधारात्मक कदम उठाएंगे और भारतीय स्टांप अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग (एफएम प्रभाग)**	लोकसभा में भारतीय स्टांप (संशोधन) अधिनियम, 2018 लाने के लिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्टांप अधिनियम (संशोधन) बिल को अधिनियमित करने के बाद स्टांप शुल्क संबंधित मामलों के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण करने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
75.	107	गिफ्ट सिटी में प्रचालित हो चुके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) को अन्य अपतटीय वित्तीय केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने, और इसके पूर्ण विकास के लिए एक सशक्त और समेकित विनियामक ढांचे की जरूरत है। सरकार भारत में आईएफएससी की सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करेगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग (एफएम प्रभाग)**	सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है।
76.	108	डिजिटल स्पेस - मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, 3डी प्रिंटिंग और इसी प्रकार की अन्य विधाओं में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था डिजिटल अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी डिजिटल पहलों से भारत को स्वयं को ज्ञान और डिजिटल सोसाइटी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। नीति आयोग एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा जिसके जरिए हमारे प्रयास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र, जिसमें इसके अनुप्रयोगों का अनुसंधान एवं विकास भी शामिल है, की ओर उन्मुख किए जाएंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **नीति आयोग**	*नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस* के संबंध में मसौदा परिचर्चा पत्र दिनांक 4.6.2018 को जारी किया गया। नीति आयोग अब इस रणनीति के कार्यान्वयन हेतु प्रयासरत है।
77.	109	साइबर और भौतिक प्रणालियों को मिलाजुला कर प्रयोग करने से उनमें न केवल नवोन्मेषी पारिस्थितिकी प्रणाली को रूपांतरित करने की क्षमता है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जीवन शैली में बदलाव लाने की भी क्षमता है। अनुसंधान, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल विनिर्माण, बड़े आंकड़ों के विश्लेषण, क्वांटम कम्युनिकेशन और इंटरनेट जैसी बातों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए निवेश करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना में सहायता देने के लिए साइबर भौतिक प्रणाली का एक मिशन शुरू करेगा। मैंने 2018-19 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए आवंटन को दोगुना करते हुए ₹3073 करोड़ का प्रावधान रखा है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**	दिनांक 06.12.2018 को सरकार ने पाँच वर्षों की अवधि हेतु कुल ₹3660 करोड़ के कुल परिव्यय पर *"इंटर डिडिसिप्लेनरी साइबर - फिजिकल सिस्टम्स पर राष्ट्रीय मिशन (एनएम - आईसीपीएस)"* के शुभारंभ हेतु अनुमोदन दिया है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
78.	110	भारत नेट परियोजना के चरण-1 के अंतर्गत तेज गति वाले आप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे लगभग दो लाख पचास हजार गांवों में 20 करोड़ ग्रामीण भारतीयों तक ब्राडबैंड की सुविधा सुलभ करवाई जा सकी है। सरकार का विचार पांच लाख वाई फाई हॉटस्पाट स्थापित करने का भी है जिनमें पांच करोड़ भारतीयों को ब्राडबैंड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मैंने 2018-19 में दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और संवर्धन के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **दूरसंचार विभाग**	दिनांक 02.12.2018 की स्थिति के अनुसार 3,01,154 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई है। कुल 1,21,652 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दी गई है और 1,16,411 ग्राम पंचायतों को सेवा हेतु तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, *भारत नैट* कार्यान्वित करने की रूपान्तिरत कार्यनीति के अनुरूप, देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) को कवर करने हेतु वाई-फाई या अन्य किसी उपयुक्त ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी के माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जानी है। अब तक ₹17,786 करोड़ संवितरित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) हेतु ₹10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इनमें से ₹8,175 करोड़ भारत नैट परियोजना हेतु आवंटित किए गए हैं। चरण-II के कार्यान्वयन के लिए, टेलीकॉम आयोग ने प्रत्येक राज्य में कार्यान्वयन हेतु भिन्न-भिन्न मॉडलों का निर्णय लिया है नामतः राज्य - चालित मॉडल, सीपीएसयू चालित मॉडल, निजी क्षेत्र का मॉडल और सेटेलाइट मीडिया पर कनेक्टिविटी। दिनांक 11.07.2018 को टेलिकॉम आयोग ने सरकारी संस्थाओं को वाई फाई कनेक्टिविटी देने के लिए *लास्ट माइल कनेक्टिविटी मॉडल* का अनुमोदन किया है। अब तक, 39,359 ग्राम पंचायतों में वाईफाई हॉटस्पाट संस्थापित किए गए हैं और उनमें से 10,775 ग्राम पंचायतों में सेवाएं दी जा रही हैं जिनसे 11 लाख से अधिक अभिदाताओं को सेवाएं प्राप्त हो रही हैं।
79.	111	उदीयमान नई प्रौद्योगिकियों, विशेषकर "फिफ्थ जनरेशन" (5जी) प्रौद्योगिकियों और इसे अपनाने से लाभान्वित होने के लिए दूरसंचार विभाग, आईआईटी, चेन्नई में स्वदेशी 5जी टेस्टबैड स्थापित करने में सहायता उपलब्ध करवाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **दूरसंचार विभाग**	दूर संचार विभाग ने 36 माह की अवधि में 224 करोड़ रुपए की कुल लागत से भारत में *"देशीय 5जी टेस्टबैड"* (एंडटूएंड 5जी टेस्टबैड का निर्माण) स्थापित करने के लिए बहुसंस्था सहयोगात्मक परियोजना के लिए वित्तीय अनुदान का अनुमोदन कर दिया है। इस परियोजना में आठ सहयोगी संस्थान हैं - सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन वायरलेस टेक्नॉलोजी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बैंगलोर और सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। परियोजना की ₹35 करोड़ की पहली किस्त अनुदानग्राही संस्थाओं को मार्च, 2018 में जारी की गई थी। परियोजना को मॉनीटर करने और उनकी समीक्षा करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा गठित *परियोजना समीक्षा एवं संचालन समूह* ने दिनांक 1.8.2018 को हुई अपनी पहली बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस समय विभिन्न स्थानों "देशीय 5जी बैड" परियोजना दल टेस्ट बैड संबंधी अपेक्षा का प्रथम संस्करण तैयार करने और प्रत्येक स्थान पर डिजाइन को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने टेस्ट बैड के कुछ घटकों का डिजाइन तैयार करना और

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			निर्माण भी शुरू कर दिया है। सभी स्थानों पर जन शक्ति की भर्ती की जा रही है। संस्थान आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने और उनकी खरीद करने की प्रक्रिया में लगे हैं।
80.	112	डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम या ब्लाक चेन टेक्नोलाजी में मध्यवर्तियों की जरूरत के बिना रिकार्डों या संव्यवहार की श्रृंखला को सुव्यवस्थित करती है। सरकार क्रिप्टो-करेंसी को लीगल टेंडर या क्वाइन नहीं मानती है और अवैध गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने अथवा भुगतान प्रणाली के एक भाग के रूप में इन क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रयोग को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाएगी। सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए ब्लाक चेन टेक्नोलाजी के प्रयोग की संभावना तलाशने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग (सिक्का एवं मुद्रा प्रभाग)**	भारत में ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सीडैक के माध्यम से प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थानों, सरकारी संगठनों तथा अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ मिलकर *डिस्ट्रिब्यूटिड इंटर इन्स्टीट्यूशनल सेंटर फॉर एक्सिलेंस इन ब्लॉक चेन टेक्नॉलजि* स्थापित किया जा रहा है।
81.	113	सड़क स्थित टोल प्लाजा पर वास्तविक रूप से नकद में टोल टैक्स के भुगतान की प्रणाली का स्थान शीघ्र ही फास्टैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां लेने जा रही हैं जिससे सड़क यात्रा निर्बाध होगी। फास्टैग की संख्या दिसम्बर, 2016 के लगभग 60,000 से बढ़कर वर्तमान में 10 लाख से अधिक हो चुकी है। दिसम्बर, 2017 से "एम" और "एन" श्रेणी के सभी वाहन केवल फास्टैग के साथ ही बेचे जा रहे हैं। सरकार टोल प्रणाली को "प्रयोग अनुरूप भुगतान" आधार पर प्रारम्भ करने के लिए एक नीति लाएगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**	'प्रयोग अनुरूप भुगतान' संकल्पना पर जीपीएस आधारित टोलिंग की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए प्रायोगिक परियोजना हेतु कार्रवाई की जा रही है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोलिंग जो कि एक बंद टोलिंग प्रणाली के साथ पहुंच नियंत्रित सुविधा है (अर्थात् 'प्रयोग अनुरूप भुगतान' आधार पर टोलिंग) दिनांक 15 जून, 2018 से शुरू हुई।
82.	117	हमने रक्षा उत्पादन में निजी निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और उदार बनाया गया है। हम देश में रक्षा उद्योग के उत्पादन के लिए दो गलियारे विकसित करने के लिए कदम उठाएंगे। सरकार उद्योग अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति, 2018 की शुरूआत करेगी ताकि सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **रक्षा उत्पादन विभाग**	उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में *एक-एक रक्षा उत्पादन कॉरिडोर* निर्मित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 6 नोडल बिन्दुओं और तमिलनाडु में 5 नोडल बिन्दुओं की पहचान की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने हेतु परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है। *रक्षा उत्पादन नीति को* अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
83.	118	आधार से प्रत्येक भारतीय को पहचान मिली है। आधार के माध्यम से हमारे लोगों को अनेक जन सेवाएं सरलता से मिलने लगी हैं। प्रत्येक छोटे या बड़े उद्यम को भी विशिष्ट पहचान (यूनीक आईडी) की आवश्यकता होती है। सरकार भारत में प्रत्येक उद्यम को अलग से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की स्कीम लाएगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **कार्पोरेट कार्य मंत्रालय**	निगमों, लिमिटेड कंपनियों, प्रोपराइट्री फर्मों, पंजीकृत सोसाइटियों और ट्रस्टों आदि जैसे निकायों के लिए "यूनीक एन्टिटी नम्बर" विकसित करने हेतु एक *अंतर-मंत्रालयी तकनीकी दल* का गठन (आईएमटीजी) किया गया था। आईएमटीजी की अनुशंसा के अनुसार, विभिन्न प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत विभिन्न निकायों हेतु पैन को यूईएन (यूनीक एन्टिटी नम्बर) माना जाएगा।
84.	119	कारोबार करने में आसानी लाने से जुड़े व्यावसायिक सुधारों को गहन बनाने और देश के प्रत्येक राज्य में पहुंचाने के लिए, भारत सरकार ने व्यवसाय-सुधार के 372 विशिष्ट कार्यक्रमों की पहचान की है। सभी राज्यों ने इन सुधारों को अपनाया है और इन्हें सरल बनाने की प्रक्रियाओं में एक दूसरे से रचनात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए एक अभियान के रूप में लिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन अब प्रयोगकर्ता से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**	*व्यापार सुधार कार्ययोजना 2017* के तहत, डीआईपीपी ने मजदूरी समर्थन, संविदा प्रवर्तन, संपत्ति का पंजीकरण, जांच समर्थन, एकल खिड़की प्रणाली, निर्माण परमिट समर्थन आदि सहित 12 विस्तृत पैरामीटरों पर कुल 372 सुधारों की पहचान की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है और 9,806 सुधारों के कार्यान्वयन का दावा किया है। ऐसे 7,139 सुधार हैं जिनका दिनांक 2 फरवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार अनुमोदन किया गया है। इस हेतु प्रतिक्रिया जानने के लिए, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रयोक्ता आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और सर्वेक्षण की शुरूआत की गई है।
85.	120	भारतीय खाद्य निगम के पूंजीगत ढांचे को पुनः तैयार किया जाएगा ताकि इसकी स्थायी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इक्विटी को बढ़ाया जा सके और दीर्घावधिक के ऋण जुटाए जा सकें। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग**	निम्नांकित हेतु वित्त मंत्रालय का सिद्धान्ततः अनुमोदन दिया गया है। 1. *₹32000 करोड़ के दीर्घावधि बाँडों के लिए सरकारी गारंटीः* वित्त वर्ष 2018-19 में ₹8000 करोड़ की सरकारी गारंटी शुदा ऋण देने पर विचार किया जा रहा है। शेष राशि के लिए इसे बजट अनुमान 2019-20 में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। 2. *इक्विटी का अंतर्वेशनः* एफसीआई में इक्विटी निवेश हेतु ₹1000 करोड़ की राशि की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने हेतु अनुदान-III 2018-19 हेतु एक प्रस्ताव पूरक मांगों में शामिल किया गया है जो बजट सत्र 2019 में संसद के समक्ष रखा जाना है।
86.	121	राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए मेट्रो उद्यमों की इक्विटी और ऋण में भारत सरकार के अंशदान की बजटीय व्यवस्था को सुप्रवाही बनाया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग)**	मेट्रो परियोजना की बजटिंग को सुप्रवाही बनाने के लिए सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में 17.4.2018 को एक बैठक हुई। इसके तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इन दिशा-निर्देशों के मुख्य पहलू निम्नवत हैं: 1. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के पूर्णतः स्वामित्वाधीन विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का निर्माण करने का निर्णय लिया गया, जो सभी मेट्रो परियोजनाओं

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			की मॉनीटरिंग और भारत सरकार के निवेश (इक्विटी और ऋण) हेतु नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगा। 2. वर्ष 2019-20 से एसपीवी में, विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए निम्नांकित फंडिंग ढांचा होगाः इक्विटीः भारत सरकार द्वारा बजटीय संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। ऋणः एसपीवी बाजार से सीधे उधार लेगा अथवा मौजूदा ढांचे के अनुरूप आईआईएफसीएल के माध्यम से ऋण जुटाएगा (सरकार द्वारा गारंटी के साथ)। पीटीएः एसपीवी भारत सरकार द्वारा दी गई संप्रभु गारंटी पर वैदेशिक सहायता ले सकता है। पीटीए एसपीवी के माध्यम से सीधे तौर पर चैनलाइज होगा। 3. मेट्रो परियोजनाओं का मूल्यांकन और विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में निवेश तथा इसमें इक्विटी और ऋण के अनुपात का निर्णय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। एसपीवी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की सलाह पर निवेश करेगा। भारत सरकार द्वारा विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए पहले से ही जारी ऋण हेतु भारत सरकार को ऋण की अदायगी एसपीवी के माध्यम से भी की जा सकती है।
87.	122	वाणिज्य विभाग सभी हितधारकों को आपस में जोड़ने के लिए एक सिंगल विंडो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल तैयार करने जा रहा है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वाणिज्य विभाग**	*राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल* हेतु एक संकल्पना का प्रूफ पहले तैयार कर लिया गया है और सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। एक प्रबंधित सेवा प्रदाता का चयन करने हेतु आरएफपी तैयार है। एमएसपी की ऑनबोर्डिंग और एनएलपी प्रारंभ करने हेतु क्रमशः 7 मार्च और 15 अगस्त तक का लक्ष्य रखा गया है।
88.	123	सरकार ने दो बीमा कंपनियों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 14 उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने का अनुमोदन किया है। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 24 उद्यमों में सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है। इसमें एयर इंडिया का सामरिक निजीकरण भी शामिल है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग**	*हुडको, सीएसएल, बीडीएल, एचएएल, जीआईसी, एनआईए, मिधानी, इरकॉन, राइट्स और जीआरएसई को सूचीबद्ध कर दिया गया है*/ आईआरएफसी, एमएसटीसी, एमडीएल और नीपको हेतु आईपोओ प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान ओएनजीसी - एचपीसीएल डील पूरी कर ली गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान एचएससीसी में सरकारी हिस्से की बिक्री हो चुकी है। एयर इंडिया सहित शेष 22 सीपीएसई/ इकाइयों/सीपीएसई की सहायक कंपनियों की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है।
89.	124	ओएनजीसी द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के अधिग्रहण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। सरकारी क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियां नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. और ओरियंटल इंडिया इन्श्योरेंस	तीन साधारण बीमा कंपनियां नामतः नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. और ओरियंटल इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लि. का आमेलन प्रक्रियाधीन है जहां विभिन्न कदम उठाए गए हैं और इनके वर्ष 2019-20 तक पूरा होने की उम्मीद है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		कंपनी लि. को एक बीमा कंपनी में आमेलित किया जाएगा और बाद में इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वित्तीय सेवाएं विभाग**	
90.	125	सरकार ने ₹14,500 करोड़ जुटाने के लिए एक्सचेंज व्यापारित निधि भारत-22 शुरू किया है, जिसके अंतर्गत सभी ओर से अपेक्षा से वहीं अधिक रकम जुटाई गई। दीपम ऋण ईटीएफ सहित ईटीएफ के और अधिक पेशकशें लाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग**	जून, 2018 में भारत 22 ईटीएफ एफएफओ ने ₹8325 करोड़ की उगाही की है। *नवम्बर, 2018 में सीपीएसई-ईटीएफ एफएफओ-3 इश्यू लगभग 4 गुना अत्यअभिदत्त किया गया और ₹31230 करोड़ के मूल्य के आवेदन प्राप्त किए गए जिनमें से सरकार ने ₹17000 करोड़ की राशि रखने का निर्णय लिया।* दीपम एक ऋण-ईटीएफ बनाने की प्रक्रिया में लगा है ताकि केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपनी समग्र क्षमता का उपयोग करके पूंजीगत व्यय (केपेक्स) की आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने हेतु ऋण/बांड बाजार तक पहुंचने में सक्षम हो सकें। *ऋण ईटीएफ का* सृजन, आरंभ और *क्रियान्वयन* करने के लिए सलाहकार, कानूनी सलाहकार और एएमसी/बाजार निर्माता की नियुक्ति हेतु एक अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है।
91.	126	विनिवेश के लिए वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान अब तक के उच्चतम स्तर ₹72,500 करोड़ पर तय किए गए। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम बजट अनुमानों के लक्ष्य से आगे निकल गए हैं। 2017-18 में ₹1,00,000 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान लगा रहा हूँ। इसलिए 2018-19 के लिए ₹80,000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रख रहा हूं। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग**	*दिनांक 10.12.2018 तक सरकार ने विनिवेश प्राप्तियों से ₹34005 करोड़ कमाए* जहां एक्सचेंज व्यापारित निधियों ने भारत-22 ईटीएफ एफएफओ और सीपीएसई ईटीएफ एफएफओ-3 के साथ क्रमशः ₹8325 करोड़ और ₹17000 करोड़ की उगाही करते हुए सबसे अधिक योगदान दिया है। कर्मचारियों के ओएफएस सहित कोल इंडिया लि. के ओएफएस ने ₹5235 करोड़ रुपए की उगाही की है। 04 आईपीओ (मिधानी, राइट्स, इरकॉन और जीआरएसई) ने ₹1704 करोड़ की उगाही की है। सीपीएसई के विनिवेश से होने वाली वास्तविक उगाही मौजूदा बाजार दशाओं पर निर्भर करती है और नीति एवं प्रतिबद्धता के अनुसार सरकार विनिवेश लेनदेनों हेतु सही अवसर की तलाश करती है।
92.	127	बैंक पुनः पूंजीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत इस वर्ष ₹80,000 करोड़ के बांड जारी किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को एक एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस (ईज) नामक कार्यक्रम के तहत एक महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडे के साथ समेकित किया गया है। इस पुनःपूंजीकरण प्रक्रिया से सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ₹5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण देने का मार्ग प्रशस्त होगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वित्तीय सेवाएं विभाग**	सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी इक्विटी के सम्मिश्रण के माध्यम से ₹80,000 करोड़ का बैंक पुनः पूंजीकरण कर दिया गया है। सरकार ने बैंक पुनः पूंजीकरण का लक्ष्य भी बढ़ाकर 2018-19 में ₹1,06,000 करोड़ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बैंक का पुनः पूंजीकरण सरकारी क्षेत्र के बैंक सुधारों से जोड़ा गया है जिनका उद्देश्य *एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस (ईज)* है। पुनः पूंजीकरण से सरकारी क्षेत्र के बैंक ऋण देने में सक्षम हो गए हैं।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
93.	128	सुदृढ़ साख वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ताकि इन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक ऋण देने में सक्षम बनाया जा सके। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वित्तीय सेवाएं विभाग**	आरआरबी हेतु पूंजी जुटाने के लिए उपाय सुझाने और साथ ही सभी कानूनी और विनियामक प्रभावों पर विचार करते हुए आरआरबी को सूचीबद्ध करने की अन्य वैकल्पिक प्रणालियां भी सुझाने हेतु डीएमडी, नाबार्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसकी वित्तीय सेवाएं विभाग में जांच की जा रही है।
94.	129	राष्ट्रीय आवास बैंक की इक्विटी को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार को अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। भारतीय डाकघर अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम और राष्ट्रीय बचत पत्र अधिनियम को समामेलित किया जा रहा है और इसमें कुछ लोक हितैषी उपाय जोड़े जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक नकदी व्यवस्थित करने के साधन उपलब्ध कराने के लिए असंपार्श्विक जमा सुविधा को संस्थागत रूप देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम,1996 को संशोधित किया जा रहा है ताकि न्याय निर्णयन प्रक्रियाओं को कारगर बनाया जा सके और कुछ उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान किया जा सके। ये प्रस्ताव इस वित्त विधेयक में रखे गए हैं। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग (एफएम) और वित्तीय सेवाएं विभाग**	1. वित्त अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया है जिसके तहत राष्ट्रीय आवास बैंक में आरबीआई का हिस्सा सरकार को अंतरित कर दिया गया है। 2. डाकघर बचत बैंक अधिनियम, 1873, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 और लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 को एक ही कानून के अधीन लाया गया है। सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम में अब सभी 12 लघु बचत स्कीमें शामिल हैं और इससे लघु बचतकर्ताओं के लिए प्रक्रिया आसान हुई है। **3.** सेबी अधिनियम, 1992, एससीआरए, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम 1996 में संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 में अधिसूचित कर दिए गए हैं। सेबी अधिनियम, 1992, एससीआरए, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम 1996 के अंतर्गत अधिनिर्णयन नियमों में परिणामी संशोधन किए जा रहे हैं।
95.	130	सभी ब्यौरेवार अनुदान मांगों को सरलता से उपलब्ध कराने के लिए इनके लिंक india.gov.in पर दिए जाएंगे। सरकार प्रकट की गई राजकोषीय सूचना को मशीन रीडेबल फार्म में उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता पर भी विचार करेगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग)**	99 डीडीजी में से 95 के लिए वेबसाईट india.gov.in में लिंक दे दिए गए हैं। शेष 4 डीडीजी रक्षा मंत्रालय की हैं। रक्षा मंत्रालय ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव किया है कि डीडीजी गोपनीयता के कारणों के चलते सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड न किए जाएं। इस मामले की प्रास्थिति पर नज़र रखी जा रही है। राजकोषीय सूचना अर्थात् प्राप्ति बजट, व्यय बजट और बजट की मुख्य राजकोषीय सारणियां बजट 2018-19 पर एक नज़र की मुख्य राजकोषीय सारणियों को data.gov.in में मशीन रीडेबल रूप में दिया गया है।
96.	132	सरकार सोने को एक आस्ति की श्रेणी में लाने के लिए एक व्यापक गोल्ड पॉलिसी बनाएगी। सरकार देश में विनियमित गोल्ड एक्सचेंज की उपभोक्ता हितैषी और व्यापार दक्ष प्रणाली भी स्थापित करेगी।	*वित्तीय आस्ति के रूप में स्वर्ण के संवर्धन हेतु मसौदा नीति* संबंधित मंत्रालयों को उनके अभिमत जानने के लिए परिचालित की गई है और गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		स्वर्ण मौद्रिकरण स्कीम को पुनः सुदृढ़ किया जाएगा ताकि लोग गोल्ड डिपोजिट खाता बिना किसी परेशानी के खोल सकें। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग (निवेश प्रभाग)**	*स्वर्ण मुद्रीकरण योजना* के संशोधन के लिए मुख्य दिशा-निर्देश तैयार किए जा चुके हैं और इन पर विचार किया जा रहा है।
97.	133	भारत की ओर से बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) प्रतिवर्ष 15 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। सरकार मौजूदा दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी और एक सुसंगत और समेकित बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) नीति लाएगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग (निवेश प्रभाग)**	*बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) नीति* का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
98.	134	विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में, विशेषकर स्टार्टअप और उद्यम पूंजीगत फर्मों के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हाइब्रिड साधन उपयुक्त हैं। सरकार हाइब्रिड साधनों के लिए अलग नीति तैयार करेगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग (निवेश प्रभाग)**	*हाइब्रिड और नवोन्मेषी साधनों के लिए मसौदा नीति* संबंधित मंत्रालयों के अभिमत जानने के लिए परिचालित की गई है।
99.	135	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों की परिलब्धियों में पिछली बार 1 जनवरी, 2006 से संशोधन किया गया था। इन परिलब्धियों में संशोधन करने और माननीय राष्ट्रपति के लिए प्रतिमाह ₹5 लाख, उप-राष्ट्रपति के लिए प्रतिमाह ₹4 लाख तथा राज्यपालों के लिए प्रति माह ₹3.5 लाख करने का प्रस्ताव है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **गृह मंत्रालय**	वित्त अधिनियम (2018 का सं. 13) के अधिनियमन से उप राष्ट्रपति की परिलब्धियां 1 जनवरी, 2016 से संशोधित करके ₹4 लाख कर दी गई हैं। राष्ट्रपति और राज्यपालों की परिलब्धियों में संशोधन भी वित्त अधिनियम, 2018 में शामिल किए गए हैं और तदनुसार संबंधित अधिनियमों में प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं।
100.	136	संसद सदस्यों को भुगतान की जाने वाली परिलब्धियों के संबंध में जनता के बीच वाद-विवाद होता रहा है। मौजूदा कार्यपद्धति में प्राप्तकर्ताओं को अपनी खुद की परिलब्धियां निर्धारित करने की अनुमति है, जिससे आलोचना होती है। अतः, मैं 1 अप्रैल, 2018 से संसद सदस्यों को देय वेतन, चुनाव क्षेत्र भत्ता, कार्यालयी व्यय, बैठक भत्ता पुनः निर्धारित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने का प्रस्ताव रखता हूँ। विधि में भी परिलब्धियों को मुद्रास्फीति के साथ सूचकांकित करके प्रत्येक 5 वर्षों में उनमें संशोधन का प्रावधान होगा। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस पहल का	वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम सं. 13) के जरिए किए गए संशोधनों के बाद संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्ते संशोधित किए गए हैं। विधिवत विचार किए जाने के बाद संसद सदस्यों के वेतनों और भत्तों का निर्धारण करने हेतु एक स्थायी तंत्र विकसित किया गया है। इस तंत्र के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि संसद-सदस्यों के वेतन और भत्ते दिनांक 01.04.2023 से शुरू प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के बाद बढ़ा दिए जाएंगे जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 में दिए गए स्पष्टीकरण के खंड (V) में निर्धारित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित होगा।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		स्वागत करेंगे और भविष्य में उन्हें ऐसी आलोचना नहीं झेलनी पड़ेगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **संसदीय कार्य मंत्रालय**	
101.	137	हमारे देश में 2 अक्तूबर, 2019 से 2 अक्तूबर, 2020 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। सरकार और भारत की जनता उन आदर्शों के प्रति अपने कार्यों द्वारा अपने आपको पुनः समर्पित करेंगे जिन्हें महात्मा गांधी ने सिखाया और अपना जीवन जिसके अनुसार जिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, गांधीवादियों, चिंतकों और जीवन के सभी क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को शामिल करके स्मरण समारोह कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। स्मरण समारोह से संबंधित क्रिया-कलापों के लिए वर्ष 2018-19 के लिए मेरी सरकार ने ₹150 करोड़ आबंटित किए हैं। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **संस्कृति मंत्रालय**	विश्व भर में महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाई जा रही है। यह आयोजन दिनांक 2.10.2018 से 2.10.2020 तक 2 वर्षों की अवधि हेतु किया जाएगा। इस स्मरणोत्सव का उद्घाटन समारोह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिल्ली में 29 सितम्बर, 2018 से 2 अक्तूबर, 2018 के दौरान हुआ। भारत के महामहिम राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति और माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति (ईसी) का गठन किया गया। दिनांक 2.5.2018 और 18.7.2018 को हुए राष्ट्रीय समिति (एनसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक में बहुत सी गतिविधियां अनुमोदित की गई। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 18.9.2018 को स्मरणोत्सव के लिए स्मृति चिन्ह (लोगो) और वेबपोर्टल http://gandhi.gov.in शुरू किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों / राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं द्वारा शुरू की जा रही सभी गतिविधियां इस पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं। यह कवायद 2 वर्ष के लिए 2 अक्तूबर, 2020 तक जारी रहेगी।
102.	142	संशोधित राजकोषीय मार्गदर्शन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के प्रति असंदिग्ध विश्वसनीयता लाने के लिए ऋण नियम को अंगीकार करने और जीडीपी अनुपात की तुलना में केन्द्रीय सरकार के ऋण को 40 प्रतिशत नीचे लाने से संबंधित राजकोषीय सुधार और बजट प्रबंधन समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार ने भी राजकोषीय घाटा लक्ष्य को प्रमुख प्रचालनात्मक मानदण्ड के रूप में उपयोग करने की सिफारिश मान ली है। आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव वित्त विधेयक में है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग)**	सरकार ने ऋण नियम अंगीकृत किए जाने के संबंध में और केन्द्र सरकार के ऋण एवं जीडीपी अनुपात को वर्ष 2024-25 तक कम करके 40 प्रतिशत तक लाने की एफआरबीएम समीक्षा समिति की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। वित्त अधिनियम 2018 के अध्याय VIII, भाग XV के जरिए आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं जो 29.3.2018 को अधिनियमित किया गया। 1 यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च, 2025 तक सामान्य सरकार के ऋण के संबंध में जीडीपी के 60 प्रतिशत और केन्द्र सरकारी ऋण के संबंध में जीडीपी के 40 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया जाए। 2 राजकोषीय घाटा (एफडी) राजकोषीय समेकन के लिए एकमात्र प्रचालनात्मक लक्ष्य के रूप में अंगीकृत किया गया है। राजकोषीय घाटा 31 मार्च, 2021 तक कम करके जीडीपी के 3 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है। 3 कभीकभार/अप्रत्याशित घटनाएं होने की स्थिति में, राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों में परिवर्तन की छूट देने के लिए वापसी मार्ग निश्चित करते हुए सुस्पष्ट एस्केप खंड और बॉयेन्सी खंड शामिल किए गए हैं।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
103.	147	**कृषि में फसल कटाई के उपरांत कार्यकलाप के संवर्धन हेतु कर-प्रोत्साहन** अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में प्राथमिक कृषि क्रियाकलापों में जुटे अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करने वाली सहकारी समितियों के लाभ के संबंद्ध में शत-प्रतिशत कर कटौती की अनुमति दी गई है। गत कुछ वर्षों के दौरान, सहकारी समितियों की तर्ज पर अनेक किसान उत्पादक कंपनियां स्थापित की गई हैं जो अपने सदस्यों को इसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। कृषि में फसल कटाई के उपरांत मूल्य वर्धन में व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें वित्त वर्ष 2018-19 से पांच वर्षों की अवधि तक ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त लाभ के संबंध में, ₹100 करोड़ तक के वार्षिक टर्न ओवर वाली और किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत इन कंपनियों को शत-प्रतिशत कर कटौती अनुमत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से पूर्व में घोषित "ऑपरेशन ग्रीन्स" मिशन को प्रोत्साहन प्राप्त होगा तथा संपदा योजना को बढ़ावा मिलेगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	प्रासंगिक प्रावधान वित्त अधिनियम, 2018 के जरिए आयकर अधिनियम 1961 में अंतर्विष्ट कर दिए गए हैं।
104.	148	**रोजगार सृजन** वर्तमान में, वर्ष के दौरान कम से कम 240 दिनों की अवधि तक काम करने वाले पात्र नए कर्मचारियों को उनकी परिलब्धियों पर आयकर अधिनियम की धारा 80-ञञकक के अंतर्गत 100% सामान्य कर कटौती के अतिरिक्त 30% की कटौती की अनुमति प्रदान की जाती है। तथापि, परिधान उद्योग के मामले में रोजगार की न्यूनतम अवधि कम करके 150 दिन कर दी गई है। नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं इस छूट को जूते एवं चमड़ा उद्योग में भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं यह प्रस्ताव भी करता हूँ कि पहले वर्ष के दौरान न्यूनतम से कम अवधि तक रोजगार में रहे किसी नए कर्मचारी जो परवर्ती वर्ष में न्यूनतम अवधि तक रोजगार में बना रहता है, के संबंध में लाभ की अनुमति प्रदान करके 30% की इस कटौती को युक्ति-संगत बनाया जाए। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	आयकर अधिनियम 1961 का प्रासंगिक प्रावधान वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
105.	149	**स्थावर संपदा हेतु प्रोत्साहन** वर्तमान में, अचल संपत्ति के सौदों के संबंध में पूंजीगत प्राप्तियों, व्यावसायिक लाभों तथा अन्य स्रोतों से आय के लिए कर का निर्धारण करते समय प्राप्त प्रतिलाभ अथवा सर्किल दर मूल्य, जो भी अधिक हो, को स्वीकार किया जाता है तथा अंतर का क्रेता और विक्रेता दोनों के हाथ में पहुंची आय के रूप में परिकलन किया जाता है। कभी-कभी भूखंड की आकृति तथा अवस्थिति सहित अनेक कारणों से एक ही क्षेत्र में स्थित भिन्न-भिन्न संपत्तियों के मूल्य में अंतर हो सकता है। रियल एस्टेट सौदों में कठिनाई को कम करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जिस मामले में सर्किल दर मूल्य प्रतिलाभ मूल्य के 5% से अधिक न हो, उसमें कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	आयकर अधिनियम 1961 का प्रासंगिक प्रावधान वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है।
106.	150	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन** केन्द्रीय बजट, 2017 में मैंने जिन कंपनियों का टर्न ओवर वित्त वर्ष 2015-16 में **₹50 करोड़** से कम था, उनके लिए कार्पोरेट कर दर घटाकर 25% करने की घोषणा की थी। इससे कर विवरणी जमा करने वाली कुल कंपनियों में से **96%** को लाभ पहुँचा। कार्पोरेट कर दर को चरणबद्ध रूप में घटाने के लिए मैंने जो वचन दिया था, उसे पूरा करते हुए मैं अब प्रस्ताव करता हूँ कि इस घटाए गए 25% दर का लाभ उन कंपनियों को भी दिया जाए जिन्होंने वित्त वर्ष 2016-2017 में **₹250 करोड़** तक **टर्न ओवर** होने की सूचना दी है। इससे संपूर्ण श्रेणी के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों जिनकी संख्या कर विवरणी भरने वाली समस्त कंपनियों का लगभग **99%** है, को लाभ पहुँचेगा। इस उपाय के कारण परित्यक्त राजस्व वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹7,000 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद, कर विवरणी भरने वाली लगभग 7 लाख कंपनियों में से लगभग 7000 कंपनियां हैं जो कर विवरणी भरती हैं तथा जिनका टर्न ओवर ₹250 करोड़ से अधिक है, 30% के स्लैब में रहेंगी। 99% कंपनियों के लिए कार्पोरेट आयकर की कम दर होने से उन्हें अधिक मात्रा में निवेश योग्य अधिशेष राशि प्राप्त होगी जिससे अधिक रोजगार सृजित होंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	वित्त अधिनियम, 2018 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
107.	151	**वेतनभोगी करदाताओं को राहत** सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान व्यक्तियों पर लागू वैयक्तिक आय कर की दरों में अनेक सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। अतः मैं वैयक्तिक आयकर के दर-ढांचे में किसी और बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता हूँ। समाज में एक आम धारणा व्याप्त रही है कि वेतनभोगी वर्ग की तुलना में वैयक्तिक व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की आय बेहतर होती है। तथापि, आयकर आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि वैयक्तिक आय कर संग्रहण का मुख्य भाग केवल वेतनभोगी वर्ग से ही आता है। निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान, **1.89 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों** ने अपनी कर विवरणी जमा कराई है तथा कुल **₹1.44 लाख करोड़** का कर भुगतान किया है जो **प्रति व्यक्ति औसतन ₹76,306** कर भुगतान बनता है। इसके मुकाबले, व्यावसायिकों सहित **1.88 करोड़ व्यक्तिगत व्यवसाय** से जुड़े कर दाताओं ने इसी निर्धारण वर्ष के लिए अपनी विवरणी भरी तथा कुल **₹48,000 करोड़** का कर भुगतान किया जो औसतन **प्रति व्यक्ति व्यावसायिक करदाता ₹25,753** बनता है। वेतनभोगी करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि परिवहन भत्ते के संबंध में मौजूदा छूट तथा विविध चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले में **₹40,000** तक की मानक कटौती की अनुमति दी जाए। तथापि, दिव्यांग व्यक्तियों को वर्धित दर पर परिवहन भत्ता देना जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों के संबंध में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कराए गए उपचार आदि के संबंध में अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति लाभ जारी रहेंगे। कागजी कार्यवाही को कम करने तथा इसके अनुपालन के लिए, इससे मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी कर देयता में कमी के रूप में वहीं अधिक लाभ पहुँचेगा। मानक कटौती किए जाने के इस निर्णय से पेंशनभोगियों को भी पर्याप्त लाभ पहुँचेगा जिन्हें परिवहन तथा चिकित्सा व्यय की मद में कोई छूट नहीं प्राप्त होती है। इस निर्णय की राजस्व लागत लगभग ₹8,000 करोड़ है। इस निर्णय से लाभान्वित होने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों तथा पेशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 2.5 करोड़ है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	आयकर अधिनियम 1961 का प्रासंगिक प्रावधान वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है। इसके अलावा, दिनांक 6.4.2018 की अधिसूचना सं. 17/2018 के जरिए परिवहन भत्ते के संबंध में छूट वापस ले ली गई है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
108.	152	**वरिष्ठ नागरिकों को राहत** गरिमा के साथ जीवन यापन करना हरेक व्यक्ति और विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार है। जिन लोगों ने हमारी देखभाल की उनकी देखभाल करना सर्वोच्च सम्मान मिलने के समतुल्य है। वरिष्ठ नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन देने के उद्देशय को प्राप्त करने के लिए मैं इन निम्नलिखित प्रोत्साहनों की घोषणा करने का प्रस्ताव करता हूँः * **बैंकों** तथा डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज आय में छूट **₹10,000** से बढ़ाकर **₹50,000** करना तथा ऐसी आय पर धारा 194क के अंतर्गत स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जाएगी। यह लाभ सावधि जमा योजनाओं तथा आवर्ती जमा योजनाओं में प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए भी उपलब्ध होगा। * धारा 80घ के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और/या चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को **₹30,000/-** से बढ़ाकर **₹50,000/-** तक करना। अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और / या किए गए किसी सामान्य चिकित्सा व्यय के संबंध में ₹50,000/- प्रतिवर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे। * धारा 80घघख के तहत कतिपय गंभीर रुग्णता के संबंध में चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ₹60,000/- से और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ₹80,000/- से बढ़ाकर, सभी नागरिकों के संबंध में **₹1 लाख** तक करना। इन रियायतों से वरिष्ठ नागरिकों को ₹4,000/- करोड़ का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा। इन कर रियायतों के अतिरिक्त, मैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का मार्च, 2020 तक विस्तार किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 8 प्रतिशत सुनिश्चित प्रतिलाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक ₹7.5 लाख की मौजूदा निवेश सीमा भी बढ़ाकर ₹15 लाख तक की जा रही है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **वित्तीय सेवाएं विभाग**	आयकर अधिनियम 1961 के प्रासंगिक प्रावधान वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से संशोधित कर दिए गए हैं। सरकार ने 2 मई, 2018 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) को 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाने तथा इस योजना के तहत निवेश की मौजूदा सीमा को ₹7.5 लाख प्रति परिवार से बढ़ा कर प्रति वरिष्ठ नागरिक ₹15 लाख करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। तद्नुसार, पीएमवीवीवाई का संशोधित रूप दिनांक 4.5.2018 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
109.	153	**अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) को कर-प्रोत्साहन** सरकार ने भारत में एक विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विकसित करने का प्रयास किया था। हाल के वर्षों में, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर प्रोत्साहनों सहित विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, मैं, आईएफएससी को दो और रियायतें प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। आईएफएससी में स्थित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा व्युत्पन्नों और कतिपय प्रतिभूतियों के अंतरण को पूंजी लाभ कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, आईएफएससी में संचालन करने वाले कार्पोरेट-भिन्न करदाताओं पर कार्पोरेट पर लागू न्यूनतम वैकल्पिक कर (मेट) के बराबर 9 प्रतिशत की रियायती दर पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) प्रभारित किया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	आयकर अधिनियम 1961 के प्रासंगिक प्रावधान वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से संशोधित कर दिए गए हैं।
110.	154	**नकद अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के अतिरिक्त उपाय** वर्तमान में, न्यासों और संस्थाओं को आयकर से छूट प्राप्त है यदि वे अपनी आय का आयकर अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। तथापि, इन संस्थाओं पर नकद व्यय करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय की लेखा परीक्षा जांच कराने के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव है कि ऐसी संस्थाओं द्वारा नकद में किए गए ₹10,000/- से अधिक के भुगतानों की अनुमति नहीं होगी और ये कर के अध्यधीन होंगे। इसके अलावा, इन संस्थाओं द्वारा टीडीएस अनुपालन में सुधार लाने के उद्देश्य से, मैं यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ कि कर-कटौती न किए जाने पर, 30 प्रतिशत धनराशि की अनुमति नहीं होगी और इस पर कर लगेगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	आयकर अधिनियम 1961 का प्रासंगिक प्रावधान वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है।
111.	155	**दीर्घावधिक पूंजी लाभ का यौक्तिकीकरण** अध्यक्ष महोदया, फिलहाल, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी उन्मुख निधि की यूनिटों और व्यवसाय न्यास की यूनिटों के अंतरण से प्रोद्भूत दीर्घावधिक पूंजी लाभ कर से छूट प्राप्त हैं। सरकार द्वारा प्रारंभ किए	पूर्णतः कार्यान्वित और आयकर अधिनियम 1961 का प्रासंगिक प्रावधान वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		गए सुधारों और अभी तक दिए गए प्रोत्साहनों के साथ, इक्विटी बाजार में उछाल आया है। **निर्धारण वर्ष 2017-18** के लिए प्रस्तुत की गई विवरणियों के अनुसार, सूचीबद्ध शेयरों और यूनिटों से छूट प्राप्त पूंजी लाभ की राशि लगभग **₹3,67,000 करोड़** है। इस लाभ का बड़ा भाग कार्पोरेट और एलएलपी को गया है। इससे विनिर्माण के विरूद्ध हवा चली है, जिसकी वजह से वित्तीय परिसंपत्तियों में और अधिक कारोबारी अधिशेष राशि का निवेश किया जा रहा है। इक्विटी में निवेश पर प्रतिलाभ कर छूट के बगैर भी पहले से ही काफी आकर्षक है। अतः सूचीबद्ध इक्विटियों से दीर्घावधिक पूंजी लाभ को कर के दायरे में लाना अत्यंत आवश्यक है। तथापि, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि आर्थिक विकास के लिए गतिशील इक्विटी बाजार आवश्यक है, मैं मौजूदा व्यवस्था में केवल एक छोटा सा बदलाव करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, **₹1 लाख से अधिक** के ऐसे दीर्घावधिक पूंजी लाभों पर किसी सूचकांकन के लाभ को बिना **10 प्रतिशत** की दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, दिनांक **31 जनवरी 2018 तक के सभी लाभ इस प्रकार संरक्षित होंगे।** उदाहरणार्थ, यदि कोई इक्विटी शेयर 31 जनवरी, 2018 से छः माह पूर्व ₹100/- पर खरीदा जाता है और इस शेयर के संबंध में 31 जनवरी, 2018 को उद्भूत उच्चतम मूल्य ₹120/- है, तो यदि यह शेयर इसकी खरीद की तारीख से एक वर्ष पश्चात बेचा जाता है, तो ₹20/- के लाभ पर कोई भी कर नहीं लगेगा। तथापि, 31 जनवरी, 2018 के पश्चात अर्जित ₹20/- से अधिक के किसी लाभ को 31 जुलाई, 2018 के बाद बेचे जाने पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। एक वर्ष तक धारित इक्विटी शेयर से लाभ अल्पावधिक पूंजी लाभ रहेगा और इस पर 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, मैं इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड द्वारा वितरित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। यह समस्त वृद्धि उन्मुख निधियों और लाभांश संवितरण निधियों के लिए समान कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराएगा। संरक्षित किए जाने के दृष्टिगत, पूंजी लाभ कर में यह बदलाव पहले वर्ष में लगभग **₹20,000 करोड़** का सीमांत राजस्व लाभ लाएगा। बाद के वर्षों में यह राजस्व अधिक हो सकता है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
112.	156	**स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर** अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में वैयक्तिक आयकर और निगम कर पर तीन प्रतिशत उपकर - प्राथमिक शिक्षा पर दो प्रतिशत उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा के लिए एक प्रतिशत उपकर है। बीपीएल और ग्रामीण परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए मैंने अपने भाषण के भाग क में कार्यक्रमों की घोषणा की है। इन्हें वित्तपोषित करने के लिए, मैं उपकर को एक प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। विद्यमान तीन प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर देय कर पर लगाया जाने वाला चार प्रतिशत 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे हम ₹11,000 करोड़ की अनुमानित अतिरिक्त धनराशि संगृहीत करने में समर्थ होंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	वित्त अधिनियम, 2018 में शामिल कर दिया गया है।
113.	157	**ई-निर्धारण** हमने वर्ष 2016 में प्रायोगिक आधार पर ई-निर्धारण प्रारंभ किया है और 2017 में विभाग और करदाताओं के बीच इंटरफेस में कमी लाने के उद्देश्य से 102 नगरों तक इसका विस्तार किया है। अभी तक प्राप्त हुए अनुभव से, अब हम ई-निर्धारण को पूरे देश में लागू करने के लिए तैयार हैं, जो आयकर विभाग की काफी पुरानी कर निर्धारण प्रक्रिया और उस विधि को रूपांतरित कर देगी जिसमें वे करदाताओं और अन्य हितधारकों के साथ व्यवहार करता था। तदनुसार, मैं निर्धारण के लिए एक नई योजना को अधिसूचित करने के लिए आयकर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें कर निर्धारण इलैक्ट्रॉनिक विधि से किया जाएगा जिससे व्यक्ति दर व्यक्ति से संपर्क करने की प्रक्रिया का उन्मूलन हो जाएगा जिससे कार्यदक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में प्रासंगिक प्रावधान शामिल कर दिया गया है।
114.	158	प्रत्यक्ष करों के संबंध में मेरे अन्य कर प्रस्ताव मेरे इस भाषण के अनुबंध V में दिए गए हैं। **प्रत्यक्ष करों से संबंधित अन्य कर प्रस्ताव** 1. प्रस्ताव है कि अग्रेनीत हानि के प्रयोजन के लिए शेयरधारिता पर प्रतिबंध के संबंध में आयकर अधिनियम	अनुबंध V में दी गई बजट घोषणाएं वित्त विधेयक 2018 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों (क्र.सं. 1 से 10 और 12 से 33), वित्त अधिनियम, 2013 (क्र.स. 34), काला धन (अघोषित विदेशी आय और आस्तियां) तथा कर आरोपण अधिनियम, 2015 (क्र.सं. 35) के उपबंधों में संशोधन करने से संबंधित है। ये

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		की धारा 79 का प्रावधान आईबीसी, 2016 के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार शेयरधारिता के परिवर्तन के मामले में लागू नहीं होगा, जहां सुनवाई का अवसर प्रधान आयुक्त या आयुक्त को दिया गया है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के जरिए कर लिए गए हैं जो 29 मार्च, 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हो गया है।
		2. उन कंपनियों के संबंध में, जिनमें शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत कोई आवेदन दाखिल किया गया है, यह प्रावधान प्रस्तावित है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ अवशोषित न किए गए मूल्यह्रास और अग्रेनीत हानि की सकल राशि को दर्ज लाभ में से घटाने की अनुमति होगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	ये संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के जरिए कर लिए गए हैं जो 29 मार्च, 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हो गया है।
		3. यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि शोधन अक्षमता समाधान से संबंधित पेशेवर उस कंपनी के मामले में आय की विवरणी का सत्यापन करेगा जिसमें शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कोई आवेदन दाखिल किया गया है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	ये संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के जरिए कर लिए गए हैं जो 29 मार्च, 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हो गया है।
		4. यह प्रावधान प्रस्तावित है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर के उपबंध उन विदेशी कंपनियों के संबंध में लागू नहीं होंगे जिनकी आय अधिनियम की धारा 44ख, 44खख, 44खखक और 44खखख में निर्दिष्ट व्यवसायों से ही है, बशर्ते कि यह आय इन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों पर कर के लिए पेश की गई हो। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	ये संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के जरिए कर लिए गए हैं जो 29 मार्च, 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हो गया है।
		5. यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से 40% तक की धन-निकासी के लिए छूट का लाभ न केवल कर्मचारियों को बल्कि सभी ग्राहकों को भी प्रदान किया जाए। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		6. यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि ऐसे मामले में जहां अनेक वर्षों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का भुगतान एक वर्ष में किया गया है, वहां जितने वर्षों के लिए स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध है, उनके समानुपात में कटौती प्रदान की जाएगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		7. स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए, किसी 'स्टार्ट-अप' के लिए 'पात्र कारोबार' की परिभाषा को औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा अधिसूचित की गई संशोधित परिभाषा के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है। आगे यह भी प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 80-झकग के तहत लाभ उठाने के लिए किसी स्टार्ट-अप के लिए निगमन की तारीख को 31 मार्च, 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया जाए और लाभ उठाने के लिए टर्नओवर की शर्त को भी युक्तिसंगत बनाया जाए। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	ये संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के जरिए कर लिए गए हैं जो 29 मार्च, 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हो गया है।
		8. अधिनियम की धारा 56(2)(भ) के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि किसी पूर्णतः स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी द्वारा इसके स्वामित्वाधीन होल्डिंग कंपनी से और किसी भारतीय होल्डिंग कंपनी द्वारा इसकी सहायक कंपनी से किसी परिसंपत्ति के अंतरण को कर से छूट प्रदान की जा सके। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	ये संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के जरिए कर लिए गए हैं जो 29 मार्च, 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हो गया है।
		9. यह भी प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि कृषिगत वस्तु व्युत्पन्नों का किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करना सट्टा लेनदेन नहीं माना जाएगा, भले ही उन व्युत्पन्न के लेन देनों के संबंध में कोई वस्तु लेन देन कर (सीटीटी) न दिया गया हो। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		10. लेन देनों की महत्वपूर्ण प्रकृति पर विचार करते हुए, यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन से प्राप्त की गई तकनीकी	

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		सेवाओं के लिए रॉयलटी या फीस से किसी अनिवासी को अर्जित हो रही आय कर से मुक्त होगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		11. यह भी प्रावधान करना प्रस्तावित है कि कच्चे तेल के बचे हुए भंडार की बिक्री की छूट किसी महत्वपूर्ण तेल भंडार में भागीदार किसी विदेशी कंपनी से संबंधित संविदा या करार के समापन के संबंध में भी लागू होगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**	उक्त प्रावधान तेल भंडारण और प्रबंधन संबंधी "पुनः उल्लिखित स्पष्ट करार" में उपयुक्त रूप से शामिल कर दिया गया है और आबूधाबी में 10 फरवरी, 2018 को इंडियन स्ट्रेटीजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) और यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) के बीच हस्ताक्षरित किया गया। उक्त छूट 08.05.2018 को अधिसूचित भी कर दी गई है। 22 मई, 2018 को आईएसपीआरएल के मंगलौर केवर्न के लिए एडीएनओसी पहला कच्चा तेल वहन करने वाले कार्गो का आगमन हुआ। दूसरे एडीएनओसी कार्गो का आगमन मंगलौर में 9 अक्तूबर, 2018 को हुआ। तीसरे और अंतिम कार्गो का आगमन 4 नवंबर, 2018 को मंगलौर में हुआ। आईएसपीआरएल और एडीएनओसी ने एसपीआर कार्यक्रम के चरण-I के अंतर्गत निर्मित पादुर एसपीआर के दो कंपार्टमेंटों में कच्चे तेल के भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए 12 नवंबर, 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।
		12. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि सरकार अधिनियम की धारा 10(46) के अंतर्गत किसी प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग को अधिसूचित करने के अलावा ऐसे व्यक्तियों के किसी वर्ग को भी अधिसूचित कर सकती है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	ये संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के जरिए कर लिए गए हैं जो 29 मार्च, 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हो गया है।
		13. उसी प्रकार के कर शासन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जो केवल एक्सचेंज ट्रेड वाले निधियों जो केवल घरेलू कंपनियों के सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश करती है, में निवेश की जाने वाली "निधियों की निधि" के लिए इक्विटी उन्मुखी निधियों के लिए उपलब्ध है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		14. यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण वर्ष 2018-19 और अनुवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विवरणी दाखिल करते समय धारा 143(1)(vi) के अंतर्गत कोई समायोजन नहीं किए जा सकेंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		15. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 115खखङ के अंतर्गत कर निर्धारण करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित अप्रकटित आय के संबंध में किसी व्यय या भत्ते या किसी प्रकार की हानि के प्रतिसंतुलन की अनुमति नहीं होगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		16. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि प्रत्येक संस्था, जो व्यष्टिगत न हो, जो किसी वित्त वर्ष में कुल ₹2.50 लाख अथवा इससे अधिक की राशि की लेनदेन करती हो, उसे पर्मानेंट अकाउन्ट नम्बर (पैन) के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा। यह भी व्यवस्था की जाती है कि निदेशकों, भागीदारों, प्रधान अधिकारियों या ऐसी संस्थाओं की ओर से कार्य करने वाले किसी सक्षम व्यक्ति को भी पैन के लिए आवेदन करेगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		17. अग्रिम निर्णय के लिए किसी नए सीमाशुल्क प्राधिकरण का गठन करने के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को ध्यान में रखते हुए, यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण, अग्रिम निर्णय के लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। यह भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि जब प्राधिकरण आयकर अधिनियम से संबंधित किसी आवेदन पर सुनवाई कर रहा हो तो राजस्व सदस्य आयकर से होगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		18. अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष लागू अधिनियम की धारा 271ञ के अंतर्गत आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा आदेश पारित करवाने का प्रस्ताव किया जाता है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		19. अधिनियम की धारा 271चक के अंतर्गत आर्थिक दण्ड ₹100 से बढ़ाकर ₹500 और ₹500 से बढ़ाकर ₹1000 करने का प्रस्ताव किया जाता है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		20. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि कोई कर देय है अथवा नहीं, विवरणी दायर नहीं करने वाली कंपनियों के विरूद्ध अभियोजन चलाया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		21. यह अधिदेश देने का प्रस्ताव किया जाता है कि अध्याय VIक-ग के अंतर्गत किसी कटौती का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारित तिथि के भीतर विवरणी दायर करनी होगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		22. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि यदि व्यापार स्टॉक को पूँजीगत आस्ति के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तन की तारीख को व्यवसाय से आय का परिकलन करने के लिए उसके उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग** **कार्पोरेट कार्य मंत्रालय**	
		23. पूँजीगत लाभ बॉण्डों में निवेश से संबंधित मौजूदा व्यवस्था को यह व्यवस्था करके उदार बनाने का प्रस्ताव किया जाता है कि छूट केवल अचल परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त दीर्घकालिक पूँजी लाभों के संबंध में ही मिलेगी और बॉण्ड में निवेश मौजूदा 3 वर्ष से बढ़कर न्यूनतम 5 वर्षों के लिए होगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		24. सरकार द्वारा हस्ताक्षरित बहुपक्षीय लिखत के अनुसार, संशोधित आश्रित एजेंट स्थायी स्थापना के संबंध में व्यवसाय के अवसर को अनुरूप बनाने के लिए अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		25. अधिनियम की धारा 9 में यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी अप्रवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति भारत के साथ व्यावसायिक संबंध का निर्माण करेगी। " महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" वाक्यांश को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव किया जाता है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		26. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि व्यावसायिक संविदा समाप्त होने या उसमें संशोधन करने के संबंध में प्राप्त क्षतिपूर्ति और रोजगार संविदा कर कर योग्य होंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		27. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि भारी माल वाहनों (12 टन से अधिक भारी) के संबंध में अधिनियम की धारा 44कङ के अंतर्गत प्रकल्पित आय की गणना ₹1000 प्रति टन प्रति माह की दर से की जाएगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		28. आय संगणन एवं प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) को सांविधिक सहयोग एवं निश्चितता प्रदान करने के लिए, व्यावसाय से होने वाली आमदनी की गणना करने से संबंधित अधिनियम के अध्याय IV-घ और अधिनियम के अध्याय XIV के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		29. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि नव प्रवर्तित 7.75% जीओआई (कर योग्य) बॉण्ड, 2018 से ₹10,000 से अधिक ब्याज के संबंध में लागू दर पर टीडीएस की व्यवस्था की जाएगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		30. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी समामेलित कंपनी के मामले में लाभांश का निर्धारण करने के उद्देश्य से संगृहीत लाभों में समामेलन की तारीख को समामेलित कंपनी के संगृहीत लाभ भी शामिल होंगे। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		31. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम की धारा 2(22)(ङ) के अंतर्गत माना गया लाभांश कुल जोड़ किए बिना 30% की दर से लाभांश वितरण करके अध्यधीन होगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		32. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि विनिर्माण के कार्य में लगी हुई नई घरेलू कंपनियों के लिए 25% की रियायती कर-दर अधिनियम के अध्याय XII के अंतर्गत प्रदत्त विशिष्ट आय के संबंध में विशेष दर के अध्यधीन होगी। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		33. समय-सीमा और "करार" की परिभाषा निर्धारित करके कन्ट्री-बाई-कन्ट्री रिपोर्ट दायर करने से संबंधित व्यवस्थाओं को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	
		34. वायदा पण्यों में विकल्प के रूप में पण्य लेनदेन कर (सीटीटी) को युक्तिसंगत बनाने के लिए वित्त अधिनियम, 2013 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है। **नोडल मंत्रालय/विभागःराजस्व विभाग**	
		35. दण्ड एवं अभियोजन के लिए स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पदनामों को युक्तिसंगत बनाने के लिए काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और करारोपण अधिनियम, 2015 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
115.	160	**अप्रत्यक्ष कर** इस बजट में, मैं विगत दो दशकों से चली आ रही मूलभूत नीति से चरणबद्ध रूप से हट रहा हूँ जिसमें सीमा शुल्क को कम करने पर अधिक बल दिया गया था। कुछ क्षेत्रों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, इलैक्ट्रॉनिक्स, ऑटो घटक, फुटवियर और फर्नीचर में घरेलू मूल्यवर्धन की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसे कुछ क्षेत्रों में घरेलू मूल्यवर्धन और मेक-इन-इंडिया को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए, मैं कुछ मदों पर सीमा शुल्क को बढ़ा रहा हूँ। मैं मोबाइल फोनों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने, उनके कुछ पुर्जों और सहायक सामग्री पर 15 प्रतिशत तक और टी.वी. के कतिपय पुर्जों पर 15 प्रतिशत तक का सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस कदम से देश में नौकरियों के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। सीमा शुल्क की दरों में और उत्पाद शुल्क के ढांचे में किए गए कतिपय बदलावों का ब्यौरा मेरे भाषण के अनुबंध 6 में दिया गया है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 (वित्त अधिनियम, 2018 में संदर्भित खंड 101 (क), 102 (ख), 108, 109 और 110) के आधार पर (1) अधिसूचना सं. 6/2018-सीमा शुल्क, सभी दिनांकित 02.02.2018; (2) प्रशुल्क परिवर्तन (सीमा शुल्क टेरिफ) बजट की तारीख से तत्काल प्रभावित किए गए।
116.	161	काजू प्रसंस्करण उद्योग की सहायता के लिए, मैं कच्चे काजू पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटा कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	दिनांक 02.02.2018 की अधिसूचना 6/2018-सीमा शुल्क द्वारा यथा संशोधित दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना सं. 50/2017 की क्र.सं. 22
117.	162	मैं आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ, और इसके स्थान पर आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क की समग्र ड्यूटियों को 10 प्रतिशत की दर से सामाजिक कल्याण अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि सरकार की सामाजिक कल्याण की स्कीमों के लिए प्रावधान किया जा सके। तथापि, वे वस्तुएं जो अब तक आयात पर शिक्षा उपकरों से छूट-प्राप्त थी, इस अधिभार से मुक्त होंगी। इसके अतिरिक्त, मेरे भाषण के अनुबंध 6 में दी गई कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर केवल सीमा शुल्क के समग्र शुल्कों पर 3 प्रतिशत की दर से प्रस्तावित अधिभार लगाया जाएगा। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	1. वित्त अधिनियम 2018 की धारा 108 के माध्यम से ईसी और एसएचईसी समाप्त कर दी गई हैं। इसके अधिनियमन से पूर्व की अवधि में इन मामलों में अधिसूचना सं. 7/18-सीमा शुल्क और 8/18-सीमा शुल्क के माध्यम से छूट दी गई थी। 2. समाज कल्याण अधिभार प्रभारित। वित्त विधेयक के पीसीटी खंड 101 (क), 102 (ख), 108, 109 और 110 के साथ पठित वित्त विधेयक 2018 के खंड 108, वित्त अधिनियम 2018 की धारा 110 के संदर्भ में।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
118.	163	मैं सीमा पार व्यापार में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की स्थिति में और सुधार लाने तथा इसके कतिपय उपबंधों को व्यापार सुगमता करार के अंतर्गत की गई वचनबद्धताओं के अनुरूप बनाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में कुछ परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। विवादों को निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, ताकि नोटिस भेजने से पहले परामर्श, फैसले के लिए निश्चित समय-सीमा और इन समय-सीमाओं का पालन नहीं किए जाने पर मुकदमे को पूरी तरह बंद करने का प्रावधान किया जा सके। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	**धारा 18**- सीबीआईसी अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के समय और पद्धति के संबंध में विनियमों को अधिसूचित करेगा - कार्रवाई की गई(अधिसूचना सं. 73/2018-सीमा-शुल्क (एनटी) तारीख 14.08.2018) **धारा 28**- सीबीआईसी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अधिसूचना जारी किया जानाः क. नोटिस पूर्व परामर्श प्रक्रिया के आयोजन का तरीका; ख. वे परिस्थितियां और वह पद्धति जिनके तहत पूरक नोटिस जारी किए जाए - नोटिस पूर्व परामर्श विनियम, 2018 दिनांक 2.4.2018 की अधिसूचना सं. 29/2018-सीमा शुल्क (एनटी) के माध्यम से अधिसूचित किए गए। **धारा 28ङक**- सीबीआईसी अधिसूचना द्वारा अग्रिम निर्णय के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा - कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की गई। **धारा 28टक**- अग्रिम निर्णय अथवा अपील हेतु आवेदन करने के प्रारूप और पद्धति के संबंध में सीबीआईसी द्वारा विनियम अधिसूचित करना और धारा 28ड - अध्याय Vख के तहत प्राधिकार हेतु प्रक्रिया के संबंध में सीबीआईसी द्वारा विनियम अधिसूचित किए जाएंगे - सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28टक और 28ड के अनुरूप मसौदा अधिसूचना के संबंध में विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के साथ विचार किया जा रहा है और इसे अतिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा। तथापि, उपर्युक्त अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जा सकती जब तक कि अधिनियम की धारा 28ङक के अधीन बोर्ड के प्रशासन विंग द्वारा अग्रिम निर्णय हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं कर दी जाती। **धारा 30 और 41**- सीबीआईसी आयातित अथवा निर्यात वस्तुओं की क्लियरैन्स अथवा उन्हें हटाने की पद्धति के संबंध में विनियम अधिसूचित करेगा और धारा 46 - आयातित वस्तुओं के संबंध में प्रस्तुत किए जाने जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में सीबीआईसी द्वारा विनियम अधिसूचित करना - प्रवेश बिल (इलैक्ट्रानिक रूप में समेकित घोषणा और कागजरहित कार्रवाई संबंधी विनियम, 2018 दिनांक 11.05.2018 की अधिसूचना सं. 36/2018-सीमा-शुल्क(एनटी) के जरिए अधिसूचित किए गए हैं। **धारा 51क**- सीबीआईसी इलैक्ट्रॉनिक रोकड़ लैजर में जमा करने से संबंधित शर्तों, बाध्यताओं और जमा करने के तरीके एवं उसके उपयोग तथा उससे प्राप्त रीफण्ड और ऐसे लेजर का रखरखाव करने के तरीके के संबंध में विनियम अधिसूचित करेगा - यह मामला प्रणाली निदेशालय, प्रधान लेखा नियंत्रक, सीबीआईसी के परामर्शाधीन है। **धारा 54**- सीबीआईसी वस्तुओं के परिवहन साधन के परिवर्तन के संबंध में विनियम अधिसूचित करेगा - दिनांक 11.05.2018 की

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाएं	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			अधिसूचना सं. 38/2018-सीमा शुल्क(एनटी) के माध्यम से समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और परिवहन साधन के परिवर्तन संबंधी विनियम, 2018 को अधिसूचित किया गया है। **धारा 99क**- सीबीआईसी लेखापरीक्षा आयोजित करने की पद्धति के संबंध में विनियम अधिसूचित करेगा - सीमा शुल्क लेखा परीक्षा विनियम, 2018 दिनांक 24.5.2018 की अधिसूचना सं. 45/ 2018-सीमा शुल्क (एनटी) के जरिए अधिसूचित कर दिए गए हैं। **धारा 109**- सीबीआईसी माल की नियंत्रित सुपुर्दगी और उसके तरीके के संबंध में विनियम अधिसूचित करेगा - संशोधनों का मसौदा तैयार कर लिया गया है और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। **धारा 122**- बोर्ड अधिसूचना के जरिए अधिनिर्णयन की सीमाएं विनिर्दिष्ट करेगा - अधिसूचना सं. 50/2018-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 08.06.2018 जारी कर दी गई है। **धारा 124** सीबीआईसी उन परिस्थितियों के संबंध में और उस पद्धति के संबंध में विनियम अधिसूचित करेगा जिसके तहत अनुपूरक नोटिस जारी किए जाए - संशोधनों का मसौदा तैयार कर लिया गया है और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। **धारा 143कक**- सीबीआईसी आयातकों अथवा निर्यातकों की श्रेणी के लिए अथवा वस्तुओं की श्रेणी हेतु अथवा माल के परिवहन की विधि के आधार पर प्रक्रिया अलग करेगा अथवा प्रलेखन करेगा और इनसे संबंधित उपायों के विनियमों को अधिसूचित करेगा - यह भविष्य में आवश्यकता के आधार पर जारी किया जाना है।
119.	164	जीएसटी को लागू किए जाने के मद्देनजर, मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके लिए कानून में आवश्यक परिवर्तनों का प्रस्ताव वित्त विधेयक में किया गया है। **नोडल मंत्रालय/विभागः** **राजस्व विभाग**	वित्त अधिनियम के अधिनियमन की तारीख (1.04.2018) से केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को नया नाम देकर उसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) वहा जा रहा है।